



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102021-230116
CG-DL-E-01102021-230116

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 423]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 29, 2021/आश्विन 7, 1943

No. 423]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 29, 2021/ASVINA 7, 1943

द इन्स्टीट्यूट ऑफ़ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2021

सं. जी/20—सीडब्ल्यू/9/2021.—लागत और संकर्म लेखपाल अधिनियम, 1959 की धारा 18 की उप-धारा 5ख के अनुसरण में, काउंसिल ऑफ़ द इन्स्टीट्यूट की 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और इस इन्स्टीट्यूट के लेखापरीक्षित लेखों को आम सूचना के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

कौशिक बनर्जी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./286/2021-22]

62वीं, वार्षिक रिपोर्ट, 2020-21

द काउंसिल ऑफ़ द इन्स्टीट्यूट ऑफ़ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया को इन्स्टीट्यूट के विभागों, समितियों, क्षेत्रों और चैप्टरों की उपलब्धियों और क्रियाकलापों को दर्शाते हुए 62वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है।

संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट 2020-21

निदेशक और इसके क्रियाकलाप

समितियों/बोर्डों/प्रकोष्ठों/निदेशालयों के क्रियाकलाप

✓ अध्यक्ष का कार्यालय

विभाग ने विभिन्न प्रकार कार्य और इन्स्टीट्यूट की परिषद के सदस्यों, विगत अध्यक्षों तथा उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गए कार्य किए हैं। कुछ महत्वपूर्ण पहलें इस प्रकार हैं :

- मंत्रालयों, सरकारी विभागों और एजेंसियों के साथ पत्राचार
- अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को तकनीकी सहायता

- इंस्टीट्यूट के सभी प्रमुख आयोजनों के लिए सहायता
- ✓ परीक्षा निदेशालय

देश में कोविड-19 की स्थिति के कारण, केन्द्र और घर, दोनों से ऑनलाइन माध्यम से परीक्षाएं आयोजित की गई थी। जून, 2020 की अवधि की फाउंडेशन परीक्षा सितंबर, 2020 और दिसंबर, 2020 में आयोजित की गई थी। जून, 2020 और दिसंबर, 2020 की अवधि की इंटरमीडिएट और अंतिम परीक्षाएं सम्मिलित रूप से जनवरी, 2021 में की गई। यह परीक्षा 3 विदेशी केन्द्रों सहित 206 परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की गई थी। फाउंडेशन परीक्षा के लिए कुल मिलाकर 20547 परीक्षार्थी थे और 61,075 परीक्षार्थी इंटरमीडिएट और अंतिम परीक्षाओं में उपस्थित हुए थे।

- ✓ अध्ययन निदेशालय

निदेशालय में पांच अलग-अलग शाखाएं हैं :

- (क) शैक्षणिक
- (ख) प्रशासनिक
- (ग) कैरियर काउंसलिंग
- (घ) प्रशिक्षण
- (ङ) निदेशालय मुख्य रूप से निम्नलिखित पर बल देता है :

1. छात्र सांख्यिकी
 - 1.1 फाउंडेशन पाठ्यक्रम में क्षेत्र-वार प्रवेश
 - 1.2 इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम में क्षेत्र-वार पंजीकरण
 - 1.3 अंतिम पाठ्यक्रम में क्षेत्र-वार पंजीकरण
 - 1.4 क्षेत्र-वार कुल पंजीकरण
2. गुणात्मक सुधारों के माध्यम से क्षमता निर्माण के लिए की गई पहलें
3. छात्रों के लिए सहायता सेवाएं
4. वर्ष 2020-21 के लिए पुनर्वैधीकरण की स्थिति
5. सामाजिक जिम्मेदारियां
6. सी एम ए इंटरमीडिएट छात्रों के लिए रोजगार योग्य और प्रौद्योगिकी-कौशल प्रशिक्षण
7. दिसंबर, 2020 की अवधि के अर्हताप्राप्त सी एम ए के लिए कैम्पस प्लेसमेंट का अभियान
8. प्रायोगिक प्रशिक्षण क्रियाकलाप (2020-2021)
9. सी एम ए कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम (2020-2021)
10. सी एम ए राष्ट्रीय ऑनलाइन व्यवसाय विजय 2021

- ✓ सदस्यता विभाग

सदस्य सुविधा समिति के मार्गनिर्देशन में और सी एम ए विश्वरूप बासू, इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष और सी एम ए (डॉ.) वी. मुरली, अध्यक्ष, सदस्य सुविधा समिति, की अगुवाई में सदस्यता विभाग ने निर्बाध सेवाएं, अधिकांशतः ऑनलाइन माध्यम से वर्ष के दौरान, यहां तक कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान भी सदस्यों को प्रदान करना और उनमें सुधार करना जारी रखा। नए 1360 सदस्य एसोसिएट सदस्यों के रूप में प्रवेश किए गए और 387 सदस्य वित्त वर्ष 2020-2021 के दौरान फेलोशिप के लिए भेजे गए। वित्त वर्ष 2020-2021 के दौरान पेशेवर का प्रमाण पत्र प्रदान करने के क्षेत्र में तेजी देखी गई।

पेशेवर प्रमाण पत्र (सीओपी) को पुनः शुरू करने में उसमें नई खासियत शुरू करने के प्रावधान के साथ मौजूदा विशेषताएं, जो पहले शुरू की गई थी, जारी रखी गईं, जो इस प्रकार हैं :

- पेशेवर प्रमाण पत्र पुनः शुरू करने के लिए प्रावधान
- सदस्यता संख्या के लिए जी एस टी सं. शामिल करने का प्रावधान, और उनकी सदस्यता शुल्क की रसीदों में उनको दर्शाना
- बिना लॉगिन के सदस्यता शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा शुरू करना
- सदस्यता प्रदान करने में तेजी लाना और नियमित आधार पर पेशेवर प्रमाण पत्र प्रदान करना
- ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से सदस्यता के सभी क्रियाकलापों के साथ एक निर्बाध डिजिटल अनुभव के लिए निरंतर सुधार करना।

✓ जर्नल और प्रकाशन निदेशालय

- निदेशालय द्वारा मासिक जर्नल "द मैनेजमेंट अकाउंटेंट" और तिमाही जर्नल "रिसर्च बुलेटिन" का नियमित आधार पर प्रकाशन किया जाता है।
- अब द मैनेजमेंट अकाउंटेंट जर्नल विश्व भर के 94 देशों में उपलब्ध है और देश के अन्य भागों में भी नियमित आधार पर वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
- द मैनेजमेंट अकाउंटेंट जर्नल तृतीय पक्षों अर्थात् मैग्जटर के माध्यम से पढ़ने के लिए ऐप पर उपलब्ध है और पढ़ी जाती है तथा निदेशालय इसे अन्य प्लेटफार्म मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचीबद्ध करने के लिए भी प्रयास कर रहा है।

✓ सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

इंस्टीट्यूट ने प्रभावी रूप से सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग न केवल दक्षता को सुधारने के लिए और हितधारकों को सेवा प्रदान करने के लिए किया बल्कि हितधारकों के साथ बातचीत बढ़ाने के लिए भी उपयोग किया है।

- ऑनलाइन छात्र पंजीकरण प्रणाली की शुरुआत
- ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से बैठकें/ ऑनलाइन कक्षाएं चलाना
- पुनः डिजाइन और अन्य पोर्टलों का निर्माण
- ऑनलाइन पुस्तकों की बिक्री
- सदस्यता ऑनलाइन प्रणाली
- ओरेकल डेटाबेस
- डोमेन सर्वर

✓ व्यावसायिक विकास एवं सी पी डी निदेशालय❖ व्यावसायिक विकास क्रियाकलाप

- इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधित्व पर सी एम ए की मान्यता
- सरकार, पी एस यू, बैंकों और अन्य संगठनों के लिए प्रतिनिधित्व
- पेशेवरों के लिए यूनिक्स दस्तावेज पहचान सं. (यू डी आई एन)
- सी ओ पी धारकों के लिए अनिवार्य क्षमता प्रशिक्षण (एम सी बी टी)
- अन्य पेशेवर विकास पहलें
 1. स्वास्थ्य देखरेख के संबंध में उप समिति का गठन
 2. राजस्व आसूचना निदेशालय की ओर से ई ओ आई आमंत्रण
 3. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग का अनुरोध
 4. वर्चुअल पेशेवर बैठकें 2020
 5. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्पोरेट अफेयर्स के साथ संयुक्त क्रियाकलाप

❖ सतत व्यावसायिक विकास (सी पी डी) क्रियाकलाप

- ऑनलाइन क्रियाकलापों (ई-लर्निंग) अर्थात् वेबिनार और वेबिन्ट में वृद्धि
- पीडी एंड सीपीडी समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम और वेबिनार
- संयुक्त कार्यक्रम

❖ इंस्टीट्यूट के प्रतिष्ठित पुरस्कार

- संगठनों के लिए लागत प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार
- रोजगार में सदस्यों के लिए सी एम एम पुरस्कार

✓ राष्ट्रीय परिषद एवं चैप्टर समन्वयन समिति

समिति को निम्नलिखित कार्य दिए गए हैं :

- मुख्यालय, क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों के बीच अंतराल को पूरा करना
- प्रचालनात्मक क्षमताओं में सुधार लाना
- इंस्टीट्यूट के नियमों और विनियमों की अनुपालना के साथ सहयोग करने के लिए क्षेत्रीय परिषद और चैप्टरों को प्रोत्साहित करना
- क्रास कटिंग मामलों और साझा चिंता के मामलों के संबंध में मामलों की सक्रिय तौर पर पहचान करना और संयुक्त कार्रवाई में सुविधा प्रदान करना।

समिति के क्रियाकलप

- लेखा, बजट और चैप्टर ए जी एम के लिए क्षेत्रीय स्तर के चैप्टर्स की बैठक
- राष्ट्रीय क्षेत्रीय परिषद और चैप्टर बैठक
- नए चैप्टर
- कार्यक्रम और वेबिनार
- ✓ अंतर्राष्ट्रीय कार्य विभाग

- यू के, एन ए आर आई सी द्वारा सी एम ए अर्हता की मान्यता
- लागत लेखाकारों का लंदन विदेशी केन्द्र खोलना
- विदेशी क्षेत्राधिकार में सी एम ए पाठ्यक्रम चलाने का प्रस्ताव
- विदेशी व्यावसायिक लेखा विधि निकायों/ संगठनों के साथ एम ओ यू
- अंतर्राष्ट्रीय बैठकें और आयोजन

✓ कर अनुसंधान विभाग/ कराधान समिति

- ❖ जी एस टी दिवस की चौथी वर्षगांठ मनाना
- ❖ टैक्स बुलेटिन
- ❖ कार्यशालाएं
- ❖ वेबिनार
- ❖ सरकार को प्रतिनिधित्व
- ❖ कराधान हेल्पडेस्क
- ❖ कराधान पाठ्यक्रम

अप्रत्यक्ष कर

- जी एस टी पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम
- जी एस टी पर उन्नत प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम
- कालेज और यूनिवर्सिटी के लिए जी एस टी पाठ्यक्रम
- जी एस टी लेखा परीक्षा और मूल्यांकन के संबंध में उन्नत पाठ्यक्रम
- प्रत्यक्ष कर
- टी डी एस पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम
- आयकर विवरणी दाखिल करने के संबंध में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम
- आयकर अपील और मूल्यांकन के संबंध में उन्नत पाठ्यक्रम

✓ केट (सी ए टी) निदेशालय

कोविड-19 महामारी के दौरान केट निदेशालय ने यह सुनिश्चित किया कि केट पाठ्यक्रम के छात्रों और अन्य हितधारकों को समुचित रूप से मित्रवत रूप से सहायता प्रदान की जाती है और समस्याओं का समाधान किया जाता है। सहायता के प्रयोजन से प्रौद्योगिकी को तेजी से अपनाना न केवल छात्रों के लिए सहायक रहा बल्कि लंबित कार्यों से भी बचा गया।

क्रियाकलाप :

- इंस्टीट्यूट और महाराष्ट्र कौशल विकास सोसाइटी (एम एस डी एस) के बीच एम ओ यू
- केट ऑनलाइन गृह आधारित परीक्षा
- केट के पाठ्यक्रम का अपडेशन
- भारत के राज्यों में केट पाठ्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए प्रस्ताव
- इंस्टीट्यूट और ए ए टी के बीच एम ओ यू
- वित्तीय समावेशन माह
- आर ओ सी सी और आर ओ सी सी में कैरियर काउंसलिंग क्रियाकलाप
- वेबिन्ट
- ✓ उन्नत अध्ययन एवं अनुसंधान बोर्ड
 - उन्नत अध्ययन पाठ्यक्रम
 - वित्त व्यावसायिकों के लिए डेटा विश्लेषण
 - सूचना प्रणाली सुरक्षा लेखा परीक्षा में डिप्लोमा
 - फोरेंसिक लेखा परीक्षा में डिप्लोमा
 - वित्त व्यावसायिकों के लिए उन्नत बिजनेस एक्सेल
 - एस ए पी फाइनेंस पावर यूजर कोर्स
 - इंजीनियरों के लिए लागत और प्रबंधन लेखांकन में कार्यकारी डिप्लोमा
 - कारोबार मूल्यांकन में कार्यकारी डिप्लोमा
 - मध्यस्थता में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम
 - निष्पादन पर एक नजर
 - 8 न्यू एज पाठ्यक्रम
 - 1770 प्रतिभागी
 - 500 से अधिक कार्पोरेट भागीदार
 - 15 देशों से भागीदारी
 - 2 बार ऑनलाइन प्रतिनिधित्व आधारित परीक्षाएं
 - 3 सहयोग—एस ए पी, माइक्रोसॉफ्ट, एन आई — एम एस एम ई
 - 20 महत्वपूर्ण आयोजन
 - दिशा (डी आई एस एस ए) के लिए मार्गनिर्देशन टिप्पणी
 - दिशा/डी एफ ए पाठ्यक्रम की उद्योग मान्यता
- ✓ तकनीकी विभाग
 - वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण/ उत्पादन एवं आपूर्ति में स्थानीय/ स्वदेशी सामग्री के संबंध में मार्गनिर्देशन टिप्पणी
 - लागत लेखांकन मानकों के अनुसार लागत विवरणों में प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण के संबंध में संकल्पना पत्र
 - ब्याज और वित्त लागत की संशोधित परिभाषा के संबंध में संकल्पना पत्र
 - लेखा विवरणों में ब्याज और वित्त लागत व्यवहार पर संकल्पना पत्र
 - वस्तु सूची मूल्यांकन के संबंध में संकल्पना पत्र
 - लागत रिकार्ड के रख-रखाव और तत्संबंधी लेखा परीक्षा के संबंध में एफ ए क्यू — 3 जारी करना
 - तकनीकी प्रकोष्ठ द्वारा परामर्शी सेवाएं

- सदस्यों/हितधारकों की शंकाओं के लिए तकनीकी प्रकोष्ठ द्वारा उत्तर
- ✓ लागत लेखांकन मानक बोर्ड (सी ए एस बी)
- वर्ष 2020-21 के लिए कोविड-19 महामारी को देखते हुए विभिन्न लागत मदों के व्यवहार पर परामर्शिका
- लागत लेखांकन मानकों की प्रस्तावना में संशोधन
- सी ए एस बी द्वारा जारी किए गए सी ए एस में संदर्भों और परिभाषाओं की शब्दावली को अपडेट करना
- लागत लेखांकन मानकों का संशोधन
- ✓ लागत लेखापरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड (सी ए ए एस बी)
 - एस सी ए 101-104 पर एस सी ए-वार एफ ए क्यू जारी करना
 - गुणवत्ता नियंत्रण पर मानक का एक्पोजर ड्राफ्ट जारी करना
 - नए ड्राफ्ट मानकों का विकास
 - एस सी ए में संशोधन पर विचार करने के लिए बोर्ड का कोर ग्रुप

✓ विशेषज्ञ समीक्षा बोर्ड (पी आर बी)

इस अवधि के दौरान बोर्ड ने वर्चुअल रूप से पांच बार बैठक की। बोर्ड द्वारा शीघ्र विशेषज्ञ समीक्षा प्रक्रिया शुरू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। इस अवधि के दौरान बोर्ड ने सी एम ए, पी. एस. भट्टाचार्या की अध्यक्षता में निम्नलिखित क्रियाकलाप लिए हैं :

- बोर्ड ने एक विशेष समीक्षा मैनुअल (पी आर एम) तैयार करने का निर्णय लिया है, जिसमें सभी फार्मेटों, प्रक्रिया फ्लोचार्ट, टेम्पलेट, समीक्षकों व पेशेवर यूनियों के लिए मार्गनिर्देशन, विशेषज्ञ समीक्षा प्रणाली और प्रमाण पत्र शामिल हैं।
- बोर्ड ने पेशेवरों के विचार प्राप्त करने के लिए एक वर्चुअल पैनल चर्चा करने का निर्णय लिया है।
- बोर्ड ने ड्राफ्ट पी आर एम को अंतिम रूप दिया है और इसकी वेटिंग करके तथा इसे अंतिम रूप देने के लिए इंस्टीट्यूट के गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड को अंतिम रूप दिए गए ड्राफ्ट पी आर एम को भेजने का निर्णय लिया है।

✓ आंतरिक समिति

जैसा कि महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतिबंध) अधिनियम, 2013 के तहत परिकल्पना की गई है, इंस्टीट्यूट की आंतरिक समिति की इस अवधि की वार्षिक रिपोर्ट इस प्रकार है :

वर्ष में (1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक) प्राप्त लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या	3
वर्ष में (1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक) दर्ज और निपटाई गई लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या	1
वर्ष में (1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक) इंस्टीट्यूट के सचिव को प्रस्तुत और प्राप्त लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या	2
वर्ष में (1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक) लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में किए गए जागरूकता के वेबिनार	3

✓ आंतरिक नियंत्रण विभाग

आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग ने 1 करोड़ रु. और उससे अधिक के टर्नओवर वाली चार क्षेत्रीय परिषदों (डब्ल्यू आई आर सी, ई आई आर सी और एन आई आर सी) तथा पांच चैप्टरों (बंगलूर, कोचीन, हैदराबाद, भुवनेश्वर, जयपुर) के लिए वर्ष 2020-21 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए इच्छा की अभिव्यक्ति (ई ओ आई) के माध्यम से समन्वय किया है और कार्य का दायरा भी प्रदान किया है तथा ऐसी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक समन्वय किया है।

खरीद प्रस्ताव

विभाग मुख्यालय, दिल्ली कार्यालय में विभिन्न विभागों के मूल्य के विभिन्न खरीद प्रस्तावों के साथ-साथ क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों के खरीद प्रस्तावों की भी पुनरीक्षा (वेटिंग) कर रहा है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा के उत्तर

विभाग ने सक्षम प्राधिकारी के निदेशानुसार इंस्टीट्यूट के दोनों मुख्यालयों, चैप्टरों और क्षेत्रों के लिए सी एंड ए जी के अपूर्ण पैरा की अनुपालना में अपेक्षित सहायता सेवाएं भी प्रदान की हैं।

✓ बैंकिंग वित्तीय सेवाएं और बीमा बोर्ड

- व्यावसायिक विकास क्रियाकलाप
माह अगस्त, 2021 में निवेशक माह
माह जुलाई, 2021 में बैंकिंग माह
माह जून, 2021 में बीमा माह
माह अप्रैल, 2021 में एम एस एम ई अनुपालन माह
- प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
एन आई एस एस (सेबी की एक शैक्षणिक पहल) के साथ सहयोग करके निवेश प्रबंधन पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम
बैंकिंग पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम,
राष्ट्रीय बीमा अकादमी के सहयोग से सामान्य बीमा पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम
- व्यावसायिक प्रकाशन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋण के संबंध में "ऐड मेमोर" पर मार्गनिर्देशन टिप्पणी का प्रकाशन
बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा (बी एफ एस आई) क्रोनिकल
बोर्ड द्वारा प्रकाशित एम एस एम ई बुलेटिन का विशेषांक

✓ उद्योग सदस्य समिति

- उद्योग सदस्य समिति ने उन्नत अध्ययन एवं अनुसंधान बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से 17 और 18 अक्टूबर, 2020 को "जी एस टी आर वार्षिक रिटर्न (जी एस टी आर 9) में मामला अध्ययन और जटिलताएं" के संबंध में एक 2 दिवसीय सी एम ए ई-कनेक्ट वर्चुअल सेमिनार का आयोजन किया ।
- उद्योग सदस्य समिति और कर अनुसंधान विभाग ने सेंट जेवियर कालेज (स्वायत्तशाली) कोलकाता के सहयोग से और लंदन ओवरसीज सेंटर ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स की सहायता से बजट-2021 के विभिन्न पहलुओं के विश्लेषण और विचार-विमर्श के लिए दिनांक 8 फरवरी, 2021 को "वैश्विक परिप्रेक्ष्य के साथ बजट विश्लेषण 2021" पर एक परस्पर वेबिनार सत्र आयोजित किया ।
- उद्योग सदस्य समिति और उन्नत अध्ययन एवं अनुसंधान बोर्ड ने दिनांक 12 जून, 2021 को "सी एम ए – भविष्य के लिए तैयार व्यावसायिक : उद्योग की आशाएं" विषय पर एक राष्ट्रीय स्तर के वर्चुअल वेबिनार का सफलतापूर्वक आयोजन किया ।

✓ पी आर विभाग

- सरकार के मंत्रालयों और विभागों के लिए इंस्टीट्यूट के अनुरोध और उनका अनुवर्तन
- मीडिया प्रबंधन
- निवेशक जागरूकता कार्यक्रम
- इंस्टीट्यूट की ओर से मुख्य अतिथि और सम्मानित अतिथि के रूप में, इंस्टीट्यूट के कार्यक्रमों के लिए वी वी आई पी को आमंत्रित करना
- विभिन्न आयोजनों के लिए मंत्रियों से संदेशों के लिए समन्वयन

✓ प्रबंधन लेखांकन समिति

- सी एम ए श्री नीरज डी. जोशी की अध्यक्षता में प्रबंधन लेखांकन समिति ने 14 से 18 दिसंबर, 2020 तक "एकीकृत सूचना पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम" की 5 दिवसीय वेबिंट सीरिज का सफल आयोजन किया गया ।
- अध्यक्ष सी एम ए नीरज डी. जोशी ने देश में आर्थिक उन्नति में योगदान के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा किए गए कार्य और प्रावधान लेखांकन व्यवसाय के मूल्यों, प्रक्रिया और क्षेत्र पर चर्चा करने के लिए श्री सी. आर. पाटिल, माननीय सदस्य सदस्य (लोकसभा), नवसारी, गुजरात; श्री नारायण टाटू राणे, माननीय केन्द्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री; डॉ. भागवत किशनराव खरड, माननीय वित्त राज्य मंत्री से मुलाकात की ।

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया परिषद

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

योग्य मत

हमने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया ('इंस्टीट्यूट') के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र, तत्समय समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के एक सार सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, योग्य मत पैरा के लिए आधार में दिए गए मामलों के प्रभावों को छोड़कर, लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 के अनुसार, पूर्ण रूप से तैयार किए गए संलग्न वित्तीय विवरणों, दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार इंस्टीट्यूट की वित्तीय स्थिति, उसके वित्तीय कार्य निष्पादन और तत्समय समाप्त वर्ष के लिए उसके नकद प्रवाह के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया (आई सी ए आई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार एक सच्चा और पारदर्शी दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

योग्य मत का आधार

1. पूंजीगत कार्य प्रगति पर (पुरानी शेष राशि) : 6,01,18,893 रुपए

उपरोक्त में पुराने पूंजीगत कार्य प्रगति पर की शेष राशि (सी डब्ल्यू आई पी) दर्शाई गई है, जिसके संबंध में इंस्टीट्यूट द्वारा बहुत ही लंबी समय अवधि के लिए (5 वर्षों से अधिक के लिए) आगे कोई कार्य नहीं किया गया/ शुरू किया गया है, जिसके लिए तत्काल क्षति विश्लेषण/ व्यवहार्यता अध्ययन किया जाना है और जिसके लिए लेखों में आवश्यक प्रावधान किया जाना है। ऐसी अचल पुरानी सी डब्ल्यू आई पी शेष राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

विवरण	धनराशि (रु.)	कब से लंबित/ अभियुक्ति
उत्कृष्टता केन्द्र अजमेर	60,28,800	2010 से पूर्व
जयपुर चैप्टर	30,11,000	2016 के बाद से कोई कार्य नहीं पाया गया
हैदराबाद उत्कृष्टता केन्द्र	10,37,781	वर्ष 2015 में एच सी ई बिल्डिंग में फायर हाइड्रेट और स्प्रिंकलर सिस्टम की आपूर्ति और संस्थापना की लागत के कारण व्यय हुई धनराशि को दर्शाता है।
जयपुर उत्कृष्टता केन्द्र	62,962	दिनांक 31/03/2017 को डोलफिन इंजीनियर को मूदा जांच के लिए भुगतान किया गया। उसके बाद से अब तक कोई अन्य कार्य नहीं किया गया है।
नवी मुम्बई उत्कृष्टता केन्द्र	4,99,78,350	दिनांक 13 जुलाई, 2016 को अंतिम राशि 5,24,750/- रुपए भुगतान की गई थी और 17 अगस्त, 2016 को गुलराज कंस्ट्रक्शन को 22,400/- रुपए का भुगतान किया गया। तथापि, आर्बिट्रेशन याचिका (एस टी) 7232/2017 के तहत बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष वाद लंबित है।
कुल	6,01,18,893	

2. इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया की पूर्वी क्षेत्रीय परिषद (ई आई आर सी) के संबंध में, जैसा कि संबंधित लेखापरीक्षा द्वारा सूचित किया गया है और लेखाओं की टिप्पणियों से भी स्पष्ट है, 36,40,096 रु. की कुल व्यापार प्राप्य राशि में से 12,29,729 रु. की राशि नौ साल से भी अधिक समय पहले की है, जिसके लिए बहियों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। [वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों की टिप्पणी 8 (iii) (क) देखें]
3. अन्य अग्रिम राशियों में कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एम सी ए), भारत सरकार द्वारा अस्वीकार किए जाने के कारण पूर्ववर्ती परिषद सदस्य से देय 1,36,097 रु. की राशि शामिल है और वर्तमान में न्यायाधीन है, जिसके लिए लेखाओं में कोई प्रावधान नहीं लिया गया है। [वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों की टिप्पणी 6 देखें]
4. दिल्ली कार्यालय – व्यापार प्राप्य राशि में काफी लंबी समय अवधि के लिए अवसूलनीय/अप्राप्त पड़ी निम्नलिखित बहुत ही पुरानी बकाया राशि है, जिसके लिए लेखाओं में प्रावधान नहीं किया गया है :

केट (सी ए टी) – आंध्र प्रदेश स्टेट स्किल डवलपमेंट कार्पोरेशन : वर्ष 2016:17 से 13,98,690 रु.

हमने अपनी लेखा परीक्षा इंस्टीट्यूट (आई सी ए आई) द्वारा जारी किए गए लेखा परीक्षा संबंधी मानकों (एस ए) के अनुसार की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारी आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण भाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी में विनिर्दिष्ट की गई है। हम ऐसी नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार इंस्टीट्यूट के स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं, जो वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा से संबंधित है और हमने इन अपेक्षाओं के अनुसार अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं। हमारा विश्वास है कि जो लेखा परीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं, वे पर्याप्त हैं और हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त है।

मामले का बल

हम निम्नलिखित पर ध्यान आकर्षित करते हैं :-

क) पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद (डब्ल्यू आई आर सी) के संबंध में, जैसा कि संबंधित लेखा परीक्षक ने सूचित किया है और साथ ही लेखों के नोट से भी स्पष्ट है :-

- i) एफ डी ए पी एल से 67,30,000/- की प्राप्य राशि का दावा पक्षकार द्वारा विवादित है, जो परिषद द्वारा पूरी तरह से वसूलनीय माना गया है। इसी प्रकार, 67,30,000/- का संदिग्ध दावा - एफ डी ए पी एल, वर्तमान देयताओं के तहत दर्शाया गया है, जिसके लिए डब्ल्यू आई आर सी को पक्षकार से, भुगतान के लिए अनुस्मारक प्राप्त हुए हैं (वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों की टिप्पणी 8(ii) (1) देखें)।
- ii) भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड (एल आई सी आई) द्वारा ग्रेच्युटी की देनदारी का वास्तविक मूल्यांकन न किए जाने के कारण भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड (एल आई सी आई) को प्रीमियम के लिए वास्तविक भुगतान और ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम, 1972 में संशोधन के कारण देनदारी बढ़ने के कारण अतिरिक्त अंशदान के आधार पर ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान किया गया है। (वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों की टिप्पणी 8(ii) (3) देखें)।
- iii) डब्ल्यू आई आर सी द्वारा संबंधित पक्षकारों के लिए प्राप्त राशियों, ऋणों एवं अग्रिम राशियों तथा व्यापार प्राप्य राशियों इत्यादि के संबंध में लेखाओं की शेष राशियों की पुष्टि के लिए पत्र जारी किए गए हैं लेकिन शेष राशियां पुष्टि के अध्वधीन हैं। [वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों की टिप्पणी 8 (ii) (4) देखें]

ख) ई आई आर सी के तहत भुवनेश्वर चैप्टर के संबंध में, जैसा कि संबंधित लेखापरीक्षक द्वारा सूचित किया गया है और लेखाओं की टिप्पणियों से भी स्पष्ट है :-

- i) वर्ष के दौरान, मृतक सदस्य के परिवार को 2,00,000 रु. की राशि के डोनेशन का भुगतान किया गया है, जो प्रशासनिक व्ययों के नाम डाली गई है, जो कि उपयुक्त 'लेखा शीर्ष' नहीं है। (वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों की 9 (i) देखें)।
- ii) वर्ष के दौरान गैर राष्ट्रीयकृत बैंक, नामतः डी सी बी बैंक में 3 वर्षों की अवधि के लिए 60,00,000 रु. की राशि सावधि जमा की है। इंस्टीट्यूट के दिशानिर्देशों के अनुसार इसे राष्ट्रीयकृत बैंक में रखी जानी अपेक्षित है। (वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों की टिप्पणी 9 (ii) देखें)।

इन मामलों के सम्बंध में हमारे मत में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरणों के सम्बंध में प्रबंधन की जिम्मेदारियां

इंस्टीट्यूट का प्रबंधन, लागत एवं संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 के अनुसार इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और इन्हें पारदर्शी रूप से प्रस्तुत करने तथा ऐसे आंतरिक नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है, जैसा प्रबंधन आवश्यक समझे, ताकि ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार किया जा सके, जो गलत बयानों से मुक्त हो, चाहे वे धोखाधड़ी से अथवा चूक से किए गए हों।

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन लाभकारी संस्था के रूप में जारी रहने में इंस्टीट्यूट की क्षमता का आकलन करने, लाभकारी संस्था से संबंधित मामलों को यथा लागू प्रकट करने तथा लाभकारी संस्था का लेखांकन के आधार पर तब तक उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन इंस्टीट्यूट का परिसमापन करने अथवा उसका प्रचालन बंद करने का इच्छुक न हो अथवा उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई अन्य तर्कसंगत विकल्प न हो।

प्रबंधन इंस्टीट्यूट की वित्तीय सूचना की प्रक्रिया को देखने के लिए जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बात के लिए तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलत बयानी से मुक्त हैं तथा धोखाधड़ी अथवा चूक के कारण हैं और लेखा परीक्षक की ऐसी रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारा मत शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन ऐसा उच्चस्तरीय आश्वासन है लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षण संबंधी मानकों के अनुसार आयोजित कोई लेखा परीक्षा यदि कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी मौजूद हो तो उसका हमेशा पता लगा लेती है। गलत बयानी, धोखाधड़ी अथवा चूक से हो सकती है और वह महत्वपूर्ण समझी जाती है, यदि अलग अलग अथवा समग्र रूप से वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपभोक्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसी तर्कसंगत संभावना हो सकती है।

लेखांकन संबंधी मानकों के अनुसार एक लेखा परीक्षा के भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय प्रदान करते हैं और पूरी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह को बनाकर रखते हैं। साथ ही, हम :

- वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, चाहे वे धोखाधड़ी अथवा चूक के कारण से हों, ऐसे जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रिया का निष्पादन करते हैं और ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं, जो

हमारे मत के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी का पता न लगा पाने का जोखिम, जो धोखाधड़ी से है, चूक के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से भी अधिक होता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत प्रस्तुति अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना करना शामिल हो सकता है।

- लेखा परीक्षा प्रक्रिया करने के लिए जानकारी प्राप्त करना जो इन परिस्थितियों में उपयुक्त हो लेकिन इंस्टीट्यूट के आंतरिक नियंत्रण की वैसी प्रभावकारिता पर राय व्यक्त करने के प्रयोजन के लिए नहीं हो।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और लेखांकन अनुमानों का तर्कसंगत होना और प्रबंधन द्वारा किए गए संगत प्रकटीकरण करना।
- प्रबंधन द्वारा लाभकारी संस्था का लेखांकन के आधार पर और प्राप्त लेखा परीक्षा के साक्ष्य के आधार पर समुचित उपयोग करने के संबंध में यह निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसी परिस्थितियों अथवा स्थितियों के संबंध में अनिश्चितता मौजूद है, जिससे एक लाभकारी संस्था के रूप में इंस्टीट्यूट द्वारा कार्य करना जारी रखने की योग्यता पर महत्वपूर्ण संदेह हो सकता है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक पर्याप्त अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें वित्तीय विवरणों में संगत प्रकटीकरणों के लिए हमारी लेखा परीक्षण की रिपोर्ट में इसका उल्लेख करना अपेक्षित होता है अथवा यदि ऐसा प्रकटीकरण अपर्याप्त हो तो हमें अपनी राय को बदलना है। हमारा निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित है। तथापि, भविष्य की परिस्थितियां अथवा स्थितियां इंस्टीट्यूट को लाभकारी संस्था के रूप में जारी न रखने के कारण हो सकती हैं।
- समग्र प्रस्तुति, संरचना और वित्तीय विवरणों के अंश का मूल्यांकन करना, जिसमें प्रकटीकरण शामिल है और क्या वित्तीय विवरणों में विशिष्ट लेन देनों और घटनाओं को इस ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि वह उचित प्रस्तुति है।

हमारे शासन से जुड़े अन्य मामलों के बीच लेखा परीक्षा की योजना के दायरे और लेखा परीक्षा के समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष प्रदान करते हैं, जिनमें आंतरिक नियंत्रण में ऐसी महत्वपूर्ण कमी शामिल है, जिसकी हमने अपनी लेखा परीक्षा के दौरान पहचान की है।

अन्य मामले

- (क) हमने चार क्षेत्रीय परिषदों तथा इक्यानवें चैप्टरों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की कि जिनमें वित्तीय विवरणों में 184,75,69,767 /— रु. की कुल परिसंपत्तियां और वित्तीय विवरणों के अनुसार 5,14,08,779 /— रु. का कुल राजस्व दर्शाया गया है। इन क्षेत्रीय परिषदों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा, संबंधित क्षेत्रीय परिषदों द्वारा नियुक्त अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है और इन अधिकांश चैप्टरों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा, लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 के विनियम 133 के अनुसार और इंस्टीट्यूट, जिसकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है, के चैप्टर उप नियमों के क्लॉज 26 के अनुसार चैप्टरों के शासी निकायों द्वारा नियुक्त लागत लेखाकारों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है और वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों के संबंध में शामिल धनराशि और प्रकटन के संबंध में है और अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (3) और (11) के अनुसार हमारी राय, जहां तक इन उपरोक्त परिषदों और चैप्टरों के संबंध में शामिल धनराशि और प्रकटन के संबंध में है, अन्य लेखा परीक्षकों और लागत लेखाकारों की रिपोर्ट पर ही आधारित है।
- (ख) हमने यहां पांच चैप्टरों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की थी, जिनके वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं हुई है और जो प्रबंधन द्वारा प्रमाणित करके हमें प्रस्तुत किए गए हैं तथा वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन चैप्टरों में शामिल की गई धनराशि और प्रकटन के संबंध में है और अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (3) और (11) के अनुसार हमारी रिपोर्ट, जहां तक यह इन उपरोक्त चैप्टरों के संबंध में शामिल की गई धनराशि और प्रकटन के संबंध में है, केवल ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार ये वित्तीय विवरण, जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है, इंस्टीट्यूट के समग्र वित्तीय विवरणों के प्रसंग में महत्वपूर्ण नहीं है।
- (ग) इंस्टीट्यूट के इस वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के उन्नीस चैप्टरों के वित्तीय विवरण शामिल नहीं हैं, क्योंकि उनकी और कोई भी वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं।
- (घ) इंस्टीट्यूट के इस वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों में अड़सठ चैप्टर शामिल हैं, जिनकी लेखा परीक्षा लागत लेखाकारों द्वारा की गई थी।

उपरोक्त वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और नीचे दी गई अन्य कानूनी अपेक्षाओं पर हमारी राय, किए गए कार्य पर हमारी निर्भरता और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों तथा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों के संबंध में उपरोक्त मामलों पर संशोधित नहीं की गई है।

- जैसा की संबंधित लेखा परीक्षक द्वारा सूचित किया गया है कि लेखाओं की टिप्पणियों से भी स्पष्ट है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद (ई आई आर सी) के संबंध में :-
 - भारतीय स्टेट बैंक से किराए के संबंध में वर्ष दौरान प्राप्त 1,60,000 /— रु. की धनराशि, जिसके लिए ई आई आर सी द्वारा जी एस टी बिल प्रस्तुत किया गया है, लेकिन एस बी आई से उस किराया आय पर कोई जी एस टी अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है। पट्टा करार के अनुसार, किराए में लागू जी एस टी शामिल नहीं है। (वित्तीय विवरणों के की टिप्पणियों की टिप्पणी 8(iii)(ख) को देखें)।

- ii) भारतीय स्टेट बैंक के साथ दिनांक 01.04.2019 से पांच वर्षों के पट्टा करार के तहत पट्टाकर्ता अर्थात् एस बी आई द्वारा, 6 माह का किराया और सेवा प्रभार का अग्रिम भुगतान, कब्जा लेने से पूर्व अथवा कब्जा लेते समय निःशुल्क वापसी योग्य प्रतिभूति जमा के रूप में प्रदान करेगा। तथापि, ई आई आर सी ने अभी तक पट्टेदार से उस प्रतिभूति राशि की वसूली नहीं की है। अब ई आई आर सी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लेखाओं में इस धनराशि के लिए प्रावधान किया है। [वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों की टिप्पणी 8 (iii) (ग) को देखें]।
- iii) पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् (ई आई आर सी) के संबंध में, जैसा कि संबंधित लेखापरीक्षक द्वारा सूचित किया गया है और लेखाओं के संबंध में टिप्पणियों से भी स्पष्ट है, दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार 34,19,372/- रु. का टी डी एस प्राप्य है, जो की वास्तविक टी डी एस प्रमाण पत्रों के साथ साथ आय के पोर्टल से विभाग में वास्तविक जमा के संदर्भ में पूर्ण मिलान किए जाने के अध्वधीन है। [वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों की टिप्पणी 8 (iii) (घ) देखें]।
3. उत्तरी क्षेत्रीय परिषद् (एन आई आर सी) के संबंध में, जैसा कि संबंधित लेखापरीक्षक द्वारा सूचित किया गया है और लेखाओं की निम्नलिखित टिप्पणियों से भी स्पष्ट है :-
- एन आई आर सी की बहियों के अनुसार, 11,25,800/- रु. की राशि दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, मुख्यालय से प्राप्य है। तथापि, मुख्यालय द्वारा भेजे गए लेखा के अनुसार, यह दर्शाया गया है कि (3,71,669/- रु.) मुख्यालय से एन आई आर सी को भुगतान किया जाना है, जो कि मिलान किए जाने के अध्वधीन है। [वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों की टिप्पणी 8 (iv) (ii) देखें]
4. निवेश (जो इंस्टीट्यूट के नाम से धारित नहीं है) -
- क) आई सी ए आई की दिवाला पेशेवर एजेंसी में निवेशों में 10 रु. प्रत्येक के 6 शेयर शामिल हैं, जो इंस्टीट्यूट के नाम से धारित नहीं हैं बल्कि आई सी ए आई के नामितियों के नामों से हैं।
- ख) आई सी एम ए में निवेश - पंजीकरण मूल्यांकनकर्ता संगठन में 10 रु. प्रत्येक का एक शेयर शामिल है, जो इंस्टीट्यूट के नाम से धारित नहीं है, बल्कि आई सी ए आई के नामितियों के नामों से है।

अन्य नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

उपरोक्त पैरा में हमारी सिफारिशों के अलावा हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :-

- क. यहां उपरोक्त योग्य राय पैरा के लिए आधार में विनिर्दिष्ट मामलों के प्रभावों के अलावा, हमने सभी सूचना और स्पष्टीकरण की मांग की है और प्राप्त किए हैं, जो हमारी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार, कुछ छोटे चैप्टरों को छोड़कर, हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक थे।
- ख. योग्य राय पैरा और यहां ऊपर दिए गए 'अन्य मामले' पैरा के पैरा 1 के लिए आधार में, वर्णित मामलों के प्रभावों के अलावा, हमारी राय में, कानून के अनुसार अपेक्षित उचित लेखा बहियों को इंस्टीट्यूट द्वारा रखा गया है, जो उन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है और हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन से पर्याप्त रिटर्न ऐसे क्षेत्रों और चैप्टरों से प्राप्त हुए हैं, जिनको हमने नहीं देखा है।
- ग. इंस्टीट्यूट की क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों के लेखों पर रिपोर्ट की संबंधित क्षेत्रों और चैप्टरों के लेखा परीक्षकों/ लागत लेखाकारों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है, जैसा कि हमें प्राप्त हुआ है, और इस रिपोर्ट को तैयार करने में समुचित विचार किया गया है।
- घ. इंस्टीट्यूट का तुलन पत्र, आय और व्यय का विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण, जिन पर इस रिपोर्ट में विचार किया गया है, लेखा बहियों के अनुसार है।

कृते, रे एंड रे

चार्टर्ड अकाउंटेंट

(फर्म पंजीकरण सं. 301072ई)

स्थान : कोलकता,

दिनांक : 12 सितम्बर, 2021

(आशीष कुमार मुखोपाध्याय)

भागीदार

सदस्य सं. 056359

(यू डी आई एन 21056359एएएबीआर 8352)

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र				
31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	
			रु.	रु.
	निधियों का स्रोत			
	इंस्टीट्यूट निधि :			
3,28,82,67,556	सामान्य निधि	(1)		3,52,86,60,115
13,61,970	कर्मचारी उपदान निधि	(2)		12,70,179
1,05,90,087	विविध पुरस्कार निधि	(3)		1,19,35,319
3,93,02,024	अन्य निधि	(4)		5,04,57,717
36,69,04,589	अन्य देयताएं	(5)		38,56,11,482
1,74,85,331	प्रावधान	(6)		1,63,81,951
3,72,39,11,557	कुल			3,99,43,16,763
	निधियों का उपयोग			
	परिसंपत्तियां			
66,36,12,754	क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	(7)	62,98,76,902	62,98,76,902
33,40,195	ख) अमूर्त परिसंपत्तियां	(7)	11,56,523	11,56,523
6,49,48,643	पूँजीगत कार्य प्रगति पर			6,44,00,406
111,150,750	निवेश	(8)		11,11,51,147
	चालू परिसंपत्तियां			
1,85,93,985	वस्तु सूचियां	(9)	92,15,300	
13,65,48,298	व्यापार प्राप्य राशि	(10)	12,76,00,355	
2,66,93,74,915	नकदी और नकदी समतुल्य	(11)	2,96,43,39,929	
<u>5,63,42,017</u>	ऋण और अग्रिम राशियां	(12)	<u>8,65,76,201</u>	
				3,18,77,31,785
2,88,08,59,215				
3,723,911,557	कुल			3,994,316,763
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और लेखाओं पर टिप्पणियां	(20)		
संलग्न टिप्पणियां 1-20 वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं				
यह इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र है। कृते रे एंड रे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म पंजीकरण सं. : 301072ई आशीष कुमार मुखोपाध्याय भागीदार सदस्यता सं. : 056359 स्थान : कोलकाता दिनांक :				
सीएमए अर्नब चक्रवर्ती निदेशक – वित्त सीएमए पी राजू अय्यर उपाध्यक्ष				
सीएमए कौशिक बनर्जी सचिव सीएमए विस्वरूप बासू अध्यक्ष				

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण			
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
रु.			रु.
	आय :		
4,81,68,453	सदस्यता एवं अन्य शुल्क	(13)	4,14,92,244
78,31,58,351	शिक्षण एवं अन्य शुल्क	(14)	80,14,88,797
19,96,20,102	परीक्षा एवं अन्य शुल्क	(15)	15,70,93,010
3,01,30,511	सी पी डी एवं अन्य कार्यक्रम शुल्क		25,86,999
6,82,934	विज्ञापन सहित पत्रिका के अंशदान		3,04,020
5,60,108	प्रकाशन की बिक्री		76,345
16,86,20,003	ब्याज		16,77,04,452
89,93,898	अन्य आय		68,82,627
1,23,99,34,360	कुल:		1,17,76,28,494
	व्यय:		
29,17,53,676	स्थापना व्यय	(16)	29,50,83,924
13,83,53,610	कार्यालय व्यय	(17)	13,23,52,795
17,24,280	सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क (टिप्पणी :7)		18,42,372
1,15,15,185	यात्रा एवं वाहन		57,84,498
11,94,75,491	परीक्षा व्यय	(18)	8,96,25,246
2,61,91,773	परिषद् एवं समिति की बैठकों का व्यय		1,04,55,464
1,24,84,257	ट्रिब्यूनल सहित चुनाव का खर्च		1,02,587
91,34,964	पत्रिका व्यय		80,03,945
84,86,308	विदेशी निकायों को सदस्यता अंशदान		91,80,183
58,81,173	सम्मेलन एवं अंतर्राष्ट्रीय बैठकें		22,036
3,77,70,833	सी. पी. डी. तकनीकी कौशल विकास एवं अन्य कार्यक्रम व्यय	(19)	44,99,886
1,05,30,783	व्यावसायिक विकास व्यय		27,38,377
12,90,47,748	कोचिंग व्यय		23,96,69,959
2,44,07,259	अध्ययन सामग्रियों एवं विवरणी की खपत		4,88,58,662
1,92,465	प्रकाशन स्टॉक की खपत		8,77,604
19,36,746	वस्तु सूचियां और अशोध्य ऋण बट्टे खाता		8,65,573
5,60,23,237	मूल्यहास और परिशोधन		5,21,39,398
-	पी एम केयर्स फण्ड में दान		2,57,99,000
884,909,788	कुल		92,79,01,509
355,024,572	व्यय से अधिक आय होने के कारण शेष राशि		24,97,26,985
5,478,292	अवधि पूर्व समायोजन (निवल)	(19क)	1,19,09,239
349,546,280	सरप्लस शेष रहने पर सामान्य निधि में अंतरित		23,78,17,746
संलग्न टिप्पणियां 1-20 वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं			
यह इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र है।			
कृते रे एंड रे			
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स			
फर्म पंजीकरण सं. 301072ई			
:			
	सीएमए अर्नब चक्रवर्ती	सीएमए कौशिक बनर्जी	
	निदेशक – वित्त	सचिव	
आशीष कुमार मुखोपाध्याय	सीएमए पी राजू अय्यर	सीएमए विस्वरूप बासू	
भागीदार	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष	
सदस्यता सं. : 056359			
स्थान : कोलकता दिनांक :			

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण			
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए रु.	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए रु.	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए रु.
	क. प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
34,95,46,280	कराधन से पूर्व अधिशेष एवं असाधारण मद	23,78,17,746	
	निम्नलिखित के लिए समायोजन:-		
5,60,23,237	मूल्यहास और परिशोधन	5,21,39,398	
40,55,69,517	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालन अधिशेष	28,99,57,144	
	कार्यशील पूंजी परिवर्तनों के लिए समायोजन		
8,35,28,626	चालू देनदारियों में वृद्धि / (कमी)	1,76,03,513	
3,20,71,615	चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / कमी	(1,19,07,556)	
5,14,57,011		56,95,957	
45,70,26,528	प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी (क)		29,56,53,101
	ख. निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
1,75,09,863	सी डब्ल्यू आई पी सहित संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	3,64,67,761	
-	निवेश में कमी	(397)	
1,75,09,863	निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी (ख)		3,64,67,364
	ग. वित्तीय क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
(1,05,79,340)	निधि शेष में परिवर्तन	(3,71,55,451)	
(1,05,79,340)	वित्तीय क्रियाकलापों से निवल नकदी (ग)		(3,71,55,451)
46,39,57,051	नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (क+ख+ग)		29,49,65,014
2,20,54,17,864	जोड़ें - अवधि के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		2,66,93,74,915
2,66,93,74,915	अवधि के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		2,96,43,39,929
टिप्पणियां :-			
i. उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरण, 'नकदी प्रवाह विवरण' के संबंध में लेखांकन मानक ए एस:3 में यथानिर्धारित 'अप्रत्यक्ष पद्धति' के तहत तैयार किया गया है।			
ii. नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल है :			
11,35,445	हाथ में नकदी	12,13,355	
24,77,15,305	बैंक में शेष : चालू खाता	18,46,14,031	
6,36,87,419	बैंक में शेष : बचत खाता	8,29,96,593	
2,35,68,36,746	सांवधि जमा	2,69,55,15,950	
2,66,93,74,915		2,96,43,39,929	
यह इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र है। कृते रे एंड रे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म पंजीकरण सं. : 301072 ई			
सीएमए अर्नब चक्रवर्ती निदेशक - वित्त		सीएमए कौशिक बनर्जी सचिव	
आशीष कुमार मुखोपाध्याय भागीदार सदस्यता सं. : 056359		सीएमए पी राजू अय्यर उपाध्यक्ष	
स्थान : कोलकता दिनांक :		सीएमए विस्वरूप बासू अध्यक्ष	

<u>द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया</u> वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी) टिप्पणी सं. 1 : सामान्य निधि		
31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
रु.		रु.
2,90,65,64,207	विगत लेखाओं के अनुसार शेष	3,28,82,67,556
	जोड़े :	
2,62,91,000	i) चेप्टर की भूमि और भवन का पूंजीकरण	60,01,602
27,62,427	ii) कोचीन चैप्टर के भवन का पूंजीकरण	-
2,93,56,17,634		3,29,42,69,158
2,93,56,17,634		3,29,42,69,158
-	घटाएं - हैदराबाद भवन के लिए समायोजन	60,01,602
27,62,427	घटाएं - कोचीन चैप्टर के भवन के लिए समायोजन	-
-	घटाएं - ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण	2,40,000
31,03,642	जोड़े : प्रवेश शुल्क (सदस्य)	28,14,813
2,93,87,21,276		3,29,08,42,369
34,95,46,280	जोड़े : संलग्न आय और व्यय विवरण के अनुसार वर्ष के लिए निवल अधिशेष	23,78,17,746
	आय और व्यय	
3,28,82,67,556		3,52,86,60,115

टिप्पणी सं. 2 :

कर्मचारी उपदान निधि

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
रु.		रु.
18,15,482	विगत लेखा के अनुसार शेष	13,61,970
4,46,886	जोड़े : वर्ष के लिए अंशदान	18,85,132
22,62,368		32,47,102
67,002	जोड़ें : वर्ष के लिए निधि की सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	43,910
9,58,230	घटाएं : किया गया भुगतान	20,05,763
9,170	घटाएं : वर्ष के दौरान ग्रेच्युटी निधि में अंतरित	15,070
13,61,970		12,70,179

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया
वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. 3 :

विविध पुरस्कार निधि

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
रु.		रु.
85,77,189	पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	1,05,90,087
14,08,791	जोड़े : वर्ष के दौरान वृद्धि	10,96,918
6,66,272	जोड़े : वर्ष के दौरान हुई आय	3,06,653
(62,165)	घटाएं : पुरस्कार की लागत	(58,339)
1,05,90,087		1,19,35,319

टिप्पणी सं. 4 :

अन्य निधि

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
रु.		रु.
5,59,371	भवन निधि	5,45,277
46,000	पुस्तकालय निधि	34,59,322
3,86,96,653	विविध निधि	4,64,53,118
3,93,02,024		5,04,57,717

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. 5 :

वर्तमान देयताएं

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
रु.		रु.
31,21,975	लाइब्रेरी जमा	32,53,256
2,85,33,387	व्यापार प्राप्य राशि	5,29,34,912
18,16,78,366	क्षेत्रीय परिषदों एवं चैप्टरों के पास चालू खाता	15,55,30,383
14,93,78,944	अन्य देनदारियां	16,83,71,439
41,91,917	टी डी एस देय	55,21,492
36,69,04,589	कुल	38,56,11,482

टिप्पणी सं. 6

प्रावधान

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
रु.		रु.
1,74,85,331	प्रावधान	1,63,81,951
1,74,85,331	कुल	1,63,81,951

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

वितीय विवरण के भाग स्वरूप टिप्पणियां

टिप्पणी सं. 7 :

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

[illegible]

लिफ्ट	1,40,63,133	1,00,000		1,41,63,133	84,23,157	8,60,997	-	92,84,154	48,78,979	56,39,976
मोटर कार	7,40,503		(2,39,882)	5,00,621	6,12,762	8,336	(1,67,717)	4,53,381	47,240	1,27,741
कंप्यूटर	5,71,39,960	52,01,047	(1,34,201)	6,22,06,806	5,39,14,233	31,16,407	(16,40,865)	5,53,89,775	68,17,031	32,25,727
साइकिल	8,368	-		8,368	8,368	-	-	8,368	-	-
कुल क	1,20,96,79,352	1,34,87,380	(2,74,037)	1,22,25,79,991	54,60,66,596	5,14,32,564	(47,96,073)	59,27,03,089	62,98,76,902	66,36,12,754
ख. अमूर्त परिसंपत्तियां :										
सॉफ्टवेयर	4,40,87,339	60,324	(22,14,589)	4,19,33,074	4,07,47,144	7,06,834	(6,77,427)	4,07,76,551	11,56,523	33,40,195
कुल ख	4,40,87,339	60,324	(22,14,589)	4,19,33,074	4,07,47,144	7,06,834	(6,77,427)	4,07,76,551	11,56,523	33,40,195
सकल योग	1,25,37,66,691	1,35,47,704	(24,88,626)	1,26,45,13,065	58,68,13,742	5,21,39,398	(54,73,500)	63,34,79,640	63,10,33,425	66,69,52,949
विगत वर्ष	1,19,59,90,540	5,77,76,151	-	1,25,37,66,691	52,97,02,291	5,60,23,237	10,88,214	58,68,13,742	66,69,52,949	66,62,88,249
पूँजीगत कार्य प्रगति पर	6,49,48,643		(5,48,237)	6,44,00,406					6,44,00,406	6,49,48,643

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. 8 :

गैर-उद्धृत निवेश (लागत पर)

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
रु.		रु.
	सहकारी न्यास के शेयर :	
500	10 रु. प्रत्येक के 50 शेयर (विगत वर्ष 50 शेयर)	500
	रोहित चैम्बर प्रेमिसेस को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, मुम्बई (पूर्व में जय बृंदावन प्रीमिसिस ट्रस्ट फंड, बाम्बे के रूप में वर्णित)	
11,00,00,000	आई सी ए आई की दिवालिया व्यवसायिक एजेंसी में निवेश (10 रु. प्रत्येक के प्रदत्त शेयर की संख्या 1,10,00,000)	11,00,00,000
11,00,000	आई सी एम ए : पंजीकृत मूल्यांकक संगठन में (विगत वर्ष 1,10,000) निवेश	11,00,000
50,250	- अन्य	50,647
11,11,50,750		11,11,51,147

टिप्पणी सं. 9

वस्तु सूचिया :

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	
रु.		रु.	रु.
39,13,431	- प्रकाशन स्टॉक (लागत पर)		26,48,183
5,765	- पेपर स्टॉक (लागत पर)		5,765
1,30,70,992	- विवरणिका स्टॉक सहित अध्ययन सामग्री (लागत पर)		50,79,538
16,03,797	- अन्य सामग्री का स्टॉक (लागत पर)		14,81,814
1,85,93,985			92,15,300

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. 10 :

व्यापार और अन्य प्राप्य राशियां
(प्रतिभूतित, अच्छी मानी गईं)

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	
रु.		रु.	रु.
4,53,47,285	व्यापार प्राप्य राशि		3,04,11,085
9,12,01,013	अन्य प्राप्य राशि		9,71,89,270
13,65,48,298			12,76,00,355

टिप्पणी सं. 11 :

नकदी और नकदी समतुल्य

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	
रु.		रु.	रु.
	नकदी और नकदी समतुल्य :		
11,35,445	नकदी हाथ में		12,13,355
	अनुसूचित बैंकों के पास शेष :		
24,77,15,305	चालू खाते में		18,46,14,031
6,36,87,419	बचत खाते में		8,29,96,593
2,35,68,36,746	बैंकों के पास सावधि जमा :		2,69,55,15,950
2,66,93,74,915			2,96,43,39,929

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. 12 :

ऋण और अग्रिम राशियां
(प्रतिभूतित, अच्छी मानी गई)

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
रु.		रु.
1,60,60,936	अन्य अग्रिम राशियां	1,90,97,163
5,35,825	कर्मचारियों को त्यौहार अग्रिम	6,15,295
2,82,36,196	टी डी एस प्राप्य राशि	4,05,25,592
58,80,816	पूर्व प्रदत्त खर्च	2,02,25,669
56,28,244	जमा	61,12,482
5,63,42,017		8,65,76,201

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं.13 :

सदस्यता और अन्य शुल्क :

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
रु.		रु.
3,90,83,132	वार्षिक सदस्यता शुल्क	3,24,85,201
84,85,505	सदस्यों का पेशेवर प्रमाण पत्र शुल्क	87,12,905
3,83,664	सदस्यों की शिकायत / बहाली शुल्क / नामांकन शुल्क	74,070
1,80,552	सदस्यता और प्रमाण पत्र शुल्क – आई एम ए (यू एस ए)	1,91,103
35,600	बेहतर स्थिति प्रमाण पत्र	28,965
4,81,68,453		4,14,92,244

टिप्पणी सं.14 :

शिक्षण और अन्य शुल्क :

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
रु.		रु.
3,73,00,545	छात्र पंजीकरण शुल्क	3,93,32,295
63,24,000	व्यावहारिक प्रशिक्षण पंजीकरण शुल्क	2,40,000
70,76,000	व्यावहारिक प्रशिक्षण/ विषय छूट शुल्क	42,25,000
69,40,05,533	शिक्षण शुल्क	71,60,01,424
3,23,78,200	कैट कोर्स आय	3,47,02,200
39,37,600	कोचिंग पूरी करने संबंधी प्रमाण पत्र का पुनः वैधीकरण शुल्क	18,65,000
14,17,000	विवरणिका की बिक्री	10,74,918
6,64,473	अध्ययन नोट्स की बिक्री	40,47,460
55,000	डाक, कोचिंग, पुनर्वैधीकरण एवं नए सिरे से फार्मों की बिक्री	500
78,31,58,351		80,14,88,797

टिप्पणी सं.15 :

परीक्षा और अन्य शुल्क :

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
रु.		रु.
19,54,59,802	परीक्षा शुल्क	15,70,93,010
41,60,300	उत्तर पत्रों की जांच के लिए शुल्क	-
19,96,20,102	कुल	15,70,93,010

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. 16 :

स्थापना व्यय

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
रु.		रु.
23,02,81,199	वेतन और भत्ते	25,20,18,346
2,16,45,439	कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड के लिए नियोक्ता का अंशदान	32,88,945
2,02,16,709	कर्मचारी भविष्य निधि के लिए नियोक्ता का अंशदान	2,38,58,818
1,976	कर्मचारी हितकारी निधि के लिए नियोक्ता का अंशदान	1,600
48,46,734	कर्मचारी अवकाश नकदीकरण के लिए नियोक्ता का अंशदान	22,14,569
37,88,134	कर्मचारी अवकाश नकदीकरण—विद्यमान	33,09,753
81,25,398	चिकित्सा व्यय	74,44,220
8,80,164	कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा भत्ता	5,19,767
11,54,309	आर पी एफ सी प्रशासन और ई डी एल आई निरीक्षण प्रभार	13,71,347
8,13,614	प्रशिक्षण और विकास (एच आर डी)	10,56,559
29,17,53,676		29,50,83,924

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. 17 :

कार्यालय व्यय

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए रु.	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए रु.
58,70,873	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	52,08,198
1,02,53,169	डाक, तार, दूरभाष और फैंक्स	66,13,269
13,41,095	आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	13,70,599
1,12,31,186	विद्युत प्रभार	62,11,070
2,17,191	जेनेरेटर व्यय	1,08,920
26,89,600	दरें और कर	15,89,984
4,99,704	बीमा	4,61,739
99,56,647	मरम्मत और रख-रखाव	92,95,187
14,23,357	कार व्यय	9,40,310
12,820	जमानती जमा राशि पर ब्याज	7,820
72,96,792	विधिक प्रभार	1,20,23,159
4,81,651	बैंक प्रभार	3,25,730
39,99,799	कंप्यूटर रखरखाव व्यय	95,13,470
24,52,883	जन संपर्क व्यय	16,52,660
27,47,453	देखरेख संबंधी व्यय	31,30,829
7,26,844	पुस्तक एवं पत्रिकाएं	4,03,552
3,12,799	प्रतिनिधि शुल्क	1,287
3,59,020	राजपत्र अधिसूचना	4,56,500
22,84,918	कर्मचारी कल्याण	12,72,468
81,43,953	किराया	83,86,325
6,03,64,965	प्रशासनिक प्रभार	5,75,88,032
56,86,891	विविध व्यय	57,91,687
13,83,53,610		13,23,52,795

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. 18 :

परीक्षा व्यय

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए रु.	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए रु.
3,63,99,442	परीक्षा व्यय	1,49,84,419
4,68,97,852	परीक्षक का पारिश्रमिक	2,59,03,246
3,12,97,234	परीक्षा केन्द्र व्यय	4,72,02,834
9,93,016	मौखिक कोचिंग विद्यार्थियों के लिए परीक्षा व्यय	13,19,302
38,87,947	पुरस्कार एवं पुरस्कार वितरण व्यय	2,15,445
11,94,75,491		8,96,25,246

टिप्पणी सं. 19 :

सी पी डी कार्यक्रम व्यय एवं तकनीकी कौशल

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	विवरण	31 मार्च, 202 को समाप्त वर्ष के लिए
रु.		रु.
91,43,755	सीपीडी व्यय	2,90,574
45,500	परियोजना व्यय	1,86,517
9,43,520	सर्वोत्तम चैप्टर पुरस्कार सहित राष्ट्रीय पुरस्कार	1,00,000
1,05,37,449	क्षेत्रीय लागत/राष्ट्रीय सम्मेलन व्यय	5,60,485
1,49,69,489	सीपीडी व्यय- आरसी/चैप्टर	26,99,977
21,31,120	तकनीकी कौशल विकास	6,62,333
3,77,70,833		44,99,886

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. 19क :

अवधि पूर्व समायोजन

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
रु.		रु.
	अवधि पूर्व आय	
22,18,757	मुख्यालय	-
-	ई आई आर सी	1,17,281
200	डब्ल्यू आई आर सी के चैप्टर	2,33,760
(7,57,578)	एस आई आर सी के चैप्टर	2,18,900
1,81,065	एन आई आर सी के चैप्टर	3,70,150
16,42,444	कुल (क)	9,40,091
	अवधि पूर्व व्यय	
56,07,415	मुख्यालय	1,23,13,836
-	डब्ल्यू आई आर सी	81,521
11,800	ई आई आर सी	97,622
3,94,171	एन आई आर सी	1,63,014
2,63,607	डब्ल्यू आई आर सी के चैप्टर	68,237
8,24,943	एस आई आर सी के चैप्टर	1,63,100
18,800	एन आई आर सी के चैप्टर	(38,000)
71,20,736	कुल (ख)	1,28,49,330
54,78,292	अवधि पूर्व समायोजन (निवल) (क-ख)	1,19,09,239

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी — 20

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और लेखाओं पर टिप्पणियां

क. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए आधार

वित्तीय विवरणों को सामान्यतः सहमत लेखांकन सिद्धांतों, लागू लेखांकन मानकों और लागत तथा संकर्म लेखांकार अधिनियम, 1959 में यथासंशोधित प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है। वित्तीय विवरणों को लाभकारी संस्था के संबंध में ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत और जब तक अन्यथा न कहा गया हो, वास्तविक आधार पर तैयार किया गया है।

समेकन का आधार

मुख्यालय (कोलकाता), नई दिल्ली कार्यालय, इसकी क्षेत्रीय परिषदों तथा चैप्टरों के वित्तीय विवरणों को, परिसंपत्तियों और देयताओं, सभी अंतःसामग्री समूह शेष को समाप्त करने के बाद आय और व्यय, अंतः समूह लेन-देनों और परिणामस्वरूप अप्राप्त आधिक्य/(कमी) की समान मदों को पूर्ण रूप से शामिल करके समेकित किया गया है। अपेक्षानुसार आवश्यक समायोजन किए गए हैं

आकलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को, वर्ष के लिए सूचित की गई परिसंपत्तियों और देयताओं तथा सूचित की गई आय और व्यय की राशि में आकलन और अनुमान करने अपेक्षित होते हैं। प्रबंधन का यह विश्वास है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त अनुमान विवेकपूर्ण और तर्कसंगत होते हैं। जिस अवधियों में परिणाम की जानकारी मिलती है/ कार्यान्वित होते हैं, उस अवधि में वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अनुमान और अंतर से वास्तविक परिणाम भिन्न हो सकते हैं।

राजस्व मान्यता

प्रवेश शुल्क

सदस्यों से प्राप्त प्रवेश शुल्क को पूंजीकृत किया गया है।

पंजीकरण शुल्क

छात्रों से प्राप्त पंजीकरण शुल्क को छात्र का पंजीकरण होते ही राजस्व आय के रूप में माना गया है।

राजस्व मान्यता

इंस्टीट्यूट निम्नलिखित के आधार पर आय की महत्वपूर्ण मदों का मान्य करता है :

क) सदस्यों का अंशदान

सदस्यता अंशदान को उस वर्ष में मान्य किया जाता है, जिस वर्ष से ये संबंधित है।

ख) शिक्षण और अन्य शुल्क

छात्रों के पंजीयन के साथ ही पोस्टल और मौखिक शिक्षण शुल्क के संबंध में मान्य किया जाता है।

ग) प्रकाशन की बिक्री

जब प्रकाशनों को किसी उपयोक्ता को किसी कीमत पर हस्तांतरित किया जाता है, तो ऐसे प्रकाशनों की बिक्री के संबंध में राजस्व को मान्य किया जाता है।

घ) परीक्षा शुल्क

परीक्षा शुल्क को ऐसी संबंधित अवधियों के लिए मान्य किया जाता है, जिस अवधि से ये संबंधित है।

ङ) अन्य

कार्यक्रम शुल्क से राजस्व को ऐसे क्रियाकलाप करने पर मान्य किया जाता है।

च) ब्याज

बैंकों के पास सावधि जमाओं के संबंध में समान आय को बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए प्राप्ति आधार पर मान्य किया जाता है।

छ) निवेशों से आय को, भुगतान की प्राप्ति का अधिकार प्रमाणित होने पर मान्य किया जाता है।

व्यय

व्यय को प्राप्ति आधार पर मान्य किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित मामलों के अलावा पोस्टल और मौखिक कोचिंग से संबंधित व्यय शामिल हैं :-

i. चैप्टरों के वार्षिक अनुदानों को उनका वितरण किए जाने पर मान्य किया जाता है।

ii. चुनाव व्यय को उस वित्तीय वर्ष में मान्य किया जाता है, जिस वर्ष में यह खर्च किया गया है।

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर को लागत में से संचित मूल्यहास और निवल हानि, यदि कोई हो, को कम करके तय किया गया है। लागत में खरीद की कीमत और कोई अन्य लागत शामिल है, जो परिसंपत्ति को इसके अपेक्षित उपयोग के लिए इसकी कार्यशील स्थिति में लाने के लिए की जाती है।

अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल हैं, जो लागत में से संचित परिशोधन और निवल हानि, यदि कोई हो, को कम करके तय किया गया है।

पूँजीगत कार्य प्रगति पर

ऐसी परिसंपत्तियों के निर्माण पर किया गया व्यय, जो उसके अपेक्षित उपयोग के लिए तैयार नहीं है, उसे 'पूँजीगत कार्य प्रगति पर' के तहत लागत में से हानि, यदि कोई हो, को कम करके तय किया गया है।

मूल्यहास/ परिशोधन

- (क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यहास आय कर अधिनियम, 1961 के तहत निर्दिष्ट मदों पर अवलिखित मूल्य पद्धति पर प्रदान किया गया है।
- (ख) लीजहोल्ड भूमि का बही मूल्य तथा उस पर भुगतान किया गया प्रीमियम, पट्टा अवधि के दौरान आसानी से परिशोधित हास किया गया है। भूमि किराया, यदि कोई हो, उस वर्ष के व्यय के रूप में मान लिया गया है, जिसके लिए ये शुल्क देय हैं अथवा भुगतान योग्य हैं।
- (ग) लाइब्रेरी की पुस्तकों के लिए, जिस वर्ष में ये खरीदी गई हैं, उस वर्ष में 40 प्रतिशत पर मूल्यहास किया गया है। इसमें एन आई आर सी शामिल नहीं हैं, जिसमें 100 प्रतिशत की दर पर मूल्यहास किया गया है।

निवेश

दीर्घावधि निवेशों को लागत पर माना गया है। तथापि, जब दीर्घावधिक निवेशों के मूल्य में एक स्थायी गिरावट हो तो संगत राशि की गिरावट को मान्य करने के लिए कम किया गया है।

वस्तुसूची

प्रकाशन स्टॉक, अध्ययन सामग्री तथा पेपर स्टॉक और विवरणिका स्टॉक इत्यादि को लागत अथवा निवल वसूली मूल्य से कम पर आंका जाता है। प्रकाशन की लागत और अध्ययन सामग्रियों की लागत का निर्धारण भारत औसत आधार पर और पेपर की लागत का निर्धारण फर्स्ट-इन-फर्स्ट-आउट (एफ आई एफ ओ) के आधार पर किया जाता है।

प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक परिसंपत्तियां

- i) किसी प्रावधान को तब मान्य किया जाता है :-
 - (क) जब विगत इवेंट के कारण वर्तमान बाध्यता हो;
 - (ख) यह संभावित हो कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का आउटफ्लो, बाध्यता को निपटाने के लिए अपेक्षित है; तथा
 - (ग) एक विश्वसनीय अनुमान को, बाध्यता की राशि से पूरा किया जा सकता है।
- ii) निम्नलिखित के लिए कोई प्रावधान मान्य नहीं है :-
 - (क) कोई ऐसी संभव बाध्यता, जो विगत इवेंट से उत्पन्न हो और जिसकी मौजूदगी एक अथवा अधिक अनिश्चित भावी इवेंट, जो इंस्टीट्यूट के पूर्ण नियंत्रण में नहीं है, के होने अथवा न होने से प्रमाणित होगी;
 - (ख) कोई ऐसी वर्तमान बाध्यता, जो विगत इवेंट से उत्पन्न हो लेकिन मान्य नहीं की गई, क्योंकि यह संभावित नहीं है कि आर्थिक लाभों वाले संसाधनों का आउटफ्लो, बाध्यता को निपटाने के लिए अपेक्षित होगा अथवा बाध्यता की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं किया जा सकता।

ऐसी बाध्यताएं आकस्मिक देनदारियों के रूप में प्रकट की गई हैं। इनका आकलन नियमित अंतराल पर किया गया है और केवल बाध्यता के उस अंश का आकलन किया गया है, जिसके लिए आर्थिक लाभों वाले संसाधनों का एक आउटफ्लो केवल ऐसी अत्यधिक दुर्लभ परिस्थितियों को छोड़कर, संभावित है, जहां कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाए जा सकते। आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्य नहीं किया जाता।

विदेशी मुद्रा लेन देन

विदेशी मुद्रा में लेन देन, उस लेन देन को करने की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर किया गया है। मौद्रिक मदों की सूचना तुलन पत्र की तारीख को प्रचलित अंतिम दर का उपयोग करके दी जाती है। प्रारंभ में दर्ज/ सूचित मौद्रिक मदों के निपटान के संबंध में उत्पन्न विनिमय दर में अंतर को, आय/ व्यय, जैसा भी मामला हो, के रूप में जिस अवधि में ये उत्पन्न हुए हैं, उस अवधि में आय और व्यय के विवरण में मान्य किया गया है।

कर्मचारी लाभ

i. अल्प कालिक लाभ

अल्प कालिक कर्मचारी लाभ को उस अवधि के दौरान दावा किए गए व्यय के रूप में मान्य किया गया है, जिसमें दावा न की गई राशि प्रदान की गई है।

ii. रोजगार उपरांत के लाभ

रोजगार के उपरांत के लाभ, जैसे भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण इत्यादि मुख्यालय, संबंधित क्षेत्रीय परिषदों तथा चैप्टरों को यथा लागू प्रदान किए गए हैं।

परिसंपत्तियों की क्षति

प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को संपत्ति के निहित मूल्य की क्षति के लिए समीक्षा की गई है। यदि इन परिसंपत्तियों की निहित राशि उनकी वसूलनीय राशि से अधिक होती है, तो क्षति को मान्य किया जाता है।

आय पर कर

इंस्टीट्यूट को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 के साथ पठित धारा 12क के तहत आयकर से छूट प्रदान की गई है, अतः आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

अवधि पूर्व आय/ व्यय

एक या अधिक पूर्व अवधियों में वित्तीय विवरणों को तैयार करने में त्रुटियों अथवा चूकों के कारण वर्तमान अवधि में उत्पन्न अवधि पूर्व की मदों को आय और व्यय के विवरण में अलग से प्रकट किया गया है।

ख. लेखाओं पर नोट

1. इंस्टीट्यूट के समेकित वित्तीय विवरणों को कोलकाता मुख्यालय, नई दिल्ली कार्यालय, चार क्षेत्रीय परिषदों और इक्यानवे चैप्टरों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिनमें से पांच लेखे लेखा परीक्षित नहीं हैं यथा त्रिवेन्द्रम, शिमला, नवानांगल, करनाल, पानीपत और भरुच – अंकलेश्वर चैप्टर।

उन्नीस चैप्टरों, नामतः इन्दौर, देवास, जबलपुर, विंध्यनगर, सिंगरौली, भद्रावती – सिमोगा, नेवेली, गाजियाबाद, जम्मू, जोधपुर, नयानांगल, अगरतला, जाजपुर, क्योझार, जमशेदपुर, नेहाती, चन्द्रापुर और संभलपुर, बलेश्वर, सोनीपत, लखनऊ और झांसी के वित्तीय विवरणों को प्राप्त न होने के कारण इन्हें वर्तमान वर्ष में शामिल नहीं किया गया। तथापि, समेकित वित्तीय विवरणों के पूर्व वर्ष के आंकड़ों में इन चैप्टरों के विगत वर्ष के आंकड़े शामिल हैं (अनुलग्नक-I देखें)।

2. क. आकस्मिक देयता (जो प्रदान नहीं की गई)

क) नीति के तहत चिकित्सा व्यय (सामान्य, पैथोलोजी व्यय) की प्रतिपूर्ति कर्मचारियों को नीति में विनिर्दिष्ट सीमा के अधधीन बिल प्रस्तुत करने पर प्रदान की जाती है। नीति की शर्तों के अनुसार, अप्रयोज्य शेष राशि 4 वर्षों की अवधि के लिए संचित की जा सकती है। दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, अप्रयोज्य शेष राशि, जो कर्मचारियों के खाते में जमा है, वह 45,61,466/- (विगत वर्ष में 44,99,498/-) है।

ख) वर्ष 2014 में ई आई आर सी के खिलाफ संविदात्मक कर्मचारियों द्वारा एक कानूनी वाद दाखिल किया गया है, जो अभी लंबित है। वर्ष के दौरान स्थिति में बदलाव नहीं आया है। मामले के अंतिम परिणामों के बाद लेखाओं में आवश्यक प्रभाव, यदि कोई हो, प्रदान किया जाएगा।

ग) वित्त अधिनियम, 1994 आर डब्ल्यू सी जी एस टी अधिनियम, 2017 के तहत, लागू ब्याज दंड 5,01,68,756/- रु. (विगत वर्ष में 5,01,68,756/- रु.) के साथ सेवा कर मांग 5,01,68,756/- रु. (विगत वर्ष में, 5,01,68,756/- रु.) है, जिसमें से 37,62,657/- रु. की राशि, जो मांग का 7.5 प्रतिशत है, वर्ष के दौरान भुगतान कर दी गई है तथा "ऋण और अग्रिम" राशि के तहत 'सेवा कर जमा' के रूप में दर्शाई गई है।

घ) कोचीन चैप्टर के संबंध में :

i) सी एफ ई द्वारा किए गए निर्माण कार्य के कारण पड़ोस के भवन की क्षति के लिए 19,38,785/- (विगत वर्ष में 19,38,785/-) की राशि की मांग के लिए एक उप न्यायालय का आदेश था। चैप्टर ने एर्नाकुलम जिला न्यायालय में एक अपील दाखिल की है और अंतिम आदेश के लंबित रहते 15,00,000/- की राशि के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर स्थगन याचिका प्राप्त की है।

ii) 75,80,762/- (विगत वर्ष में 75,80,762/-) राशि की कार्य संविदा के संबंध में फार्म आई ई ई (छूट फार्म) चैप्टर द्वारा ठेकेदारों से प्राप्त नहीं किया गया है। उपरोक्त कार्य ठेकेदारों से ऐसे फार्म प्राप्त नहीं करने के कारण कार्य संविदा कर देनदारी 6,06,461/- रु. तथा ब्याज होगी, जिसका लेखाओं में उल्लेख नहीं किया गया है।

- ख. पूंजीगत प्रतिबद्धता (जो प्रदान नहीं की गई)

पूंजीगत लेखा के संबंध में निष्पादन किए जाने हेतु शेष अनुबंध की अनुमानित राशि (निवल अग्रिम राशि) और प्रदान की गई राशि 12,11,250/- (विगत वर्ष – शून्य) है।

3. आयकर के संबंध में छूट आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11 के साथ पठित धारा 12 के तहत प्रदान की गई है, जो वित्त अधिनियम के नए प्रावधानों के तहत नवीकरण किए जाने के अध्यधीन है, अतः आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आस्थगित कर परिसंपत्ति तथा देनदारी के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।
4. इंस्टीट्यूट द्वारा रखी गई सभी पुरस्कार राशि लेखाओं में और तत्संबंधी सावधि जमा में संगत निवेशों के साथ शामिल की गई है। निधियों को विभिन्न दाताओं द्वारा प्रदान किया गया है।
5. 269,55,15,950/— रु. (विगत वर्ष में 235,68,36,746/—) की सावधि जमा राशि में विविध पुरस्कार और अन्य निधि के लिए 52,79,142/— (विगत वर्ष में 49,16,284/— रु.) शामिल है।
6. अन्य अग्रिम राशि में एम सी आई, भारत सरकार द्वारा अनुमति न देने के कारण पूर्व परिषद सदास्य से बकाया 1,36,097/— रु. (विगत वर्ष 1,36,097/— रु.) शामिल हैं और वर्तमान में मामला न्यायाधीन है।
7. सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क में निम्नलिखित शामिल हैं :-

लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक

सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क (मुख्यालय) (जी एस टी सहित) रु. 5,06,869/— (रु. 4,95,217/—)

8. **(i)** मुख्यालय

- क) द इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट को भविष्य निधि का अंशदान प्रदान किया जाता है।
- ख) ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम, 1972 (यथासंशोधित) के तहत ग्रेच्युटी के संबंध में देनदारी को समूह ग्रेच्युटी नीति से भारतीय जीवन बीमा निगम को दिए गए अंशदान के आधार पर मान्य किया जाता है।
- ग) अवकाश नकदीकरण के संबंध में देनदारी को एल आई सी आई के पास रखी गई अनुमोदित अवकाश नकदीकरण निधि के आधार पर मान्य किया जाता है।

(ii) डब्ल्यू आई आर सी

1. एफ डी ए पी एल से, अनुसूची-च — चालू परिसंपत्तियों में दर्शाई गई 67,30,000/— रु. (विगत वर्ष में 67,30,000/— रु.) के वसूलनीय दावे पक्षकार द्वारा विवादित हैं। इसी प्रकार, 67,30,000/— रु. की राशि दावा संदिग्ध — एफ डी ए पी एल में एफ डी ए पी एल को भुगतान योग्य 60,02,000/— रु. के शेष इनवायस की राशि शामिल है। डब्ल्यू आई आर सी को देय राशि के भुगतान के लिए पक्षकार से अनुस्मारक और माध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है।
2. अनुसूची ग — चालू देयताओं में दर्शाई गई 4,20,707/— रु. की वसूलनीय राशि के लिए प्रावधान ए जी एम द्वारा अनुमोदन किए जाने पर पुरांकित किए जाएंगे क्योंकि यह भुगतान योग्य नहीं है।
3. परिषद ने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ एक समूह ग्रेच्युटी योजना अपनाई है, तथापि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार बीमांकित मूल्यांकन के अभाव में प्रीमियम का वास्तविक भुगतान और ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम, 1972 के संशोधन के कारण देनदारी में वृद्धि होने पर अतिरिक्त अंशदान को ग्रेच्युटी के प्रावधान के रूप में शामिल किया गया है।
4. डब्ल्यू आई आर सी द्वारा, प्राप्त राशियों, ऋणों एवं अग्रिम राशियों तथा संबंधियों को व्यापार भुगतान योग्य राशियों के संबंध में लेखाओं की शेष राशियों की पुष्टि करने के लिए पत्र जारी किए गए हैं और यह शेष राशियां पुष्टि किए जाने की अध्यधीन हैं।

(iii) ई आई आर सी

- क) दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार 36,40,096/— रु. के कुल विविध देनदारी में से 12,29,729/— रु. की राशि नौ साल से भी अधिक समय की है।
- ख) ई आई आर सी को पट्टा करार के अनुसार एस बी आई से मासिक किराए के रूप में 1,60,000/— प्रतिमाह प्राप्त हुए हैं। ई आई आर सी के एस बी आई के संबंध में जी एस टी बिल भी तैयार किया गया था, तथापि, एस बी आई से कोई जी एस टी प्राप्त नहीं किया गया है। पट्टा करार के अनुसार किराए में लागू जी एस टी शामिल नहीं है।
- ग) एस बी आई के साथ वर्तमान पट्टा करार दिनांक 01/04/2019 से 5 वर्षों के लिए 160,000 रु. प्रति माह की दर से (के एम सी कर और सरचार्ज सहित, जिसे स्वामी द्वारा वहन किया जाना है) लेकिन इसमें लागू जी एस टी शामिल नहीं है। उस करार के तहत, पट्टेदार अर्थात् एस बी आई द्वारा 6 माह के किराए और सेवा प्रभारों का अग्रिम भुगतान किया जाएगा, जो कब्जा लेने पर अथवा उससे पूर्व ब्याज रहित प्रतिभूति जमा के रूप में होगा। यह जमा राशि पट्टा समाप्त होने पर वापस की जा सकेगी। तथापि, ई आई आर सी ने अभी तक पट्टेदार से यह प्रतिभूति जमा राशि वसूली नहीं है। अब ई आई आर सी ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए लेखों में आवश्यक प्रभाव, यदि कोई है, कर दिया है।

- घ) दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, 34,19,372/- की टी डी एस प्राप्ति लेखा शेष राशि दर्शाई गई है। इसे वास्तविक टी डी एस प्रमाणपत्र और आयकर पोर्टल से इंस्टीट्यूट के नाम विभाग की वास्तविक जमा राशि के संदर्भ में पूरी तरह से मिलान किया जाएगा।
- ङ) डॉ. ए. एस. दुर्गा प्रसाद, अनुशासनिक समिति के पीठासीन अधिकारी द्वारा शिकायत सं. कॉम/21-सी डब्ल्यू ए (9) 2010 में जारी किए गए 27 मई, 2015 के आदेश के अनुसार लागत एवं संकर्म लेखापाल (व्यावसायिक एवं अन्य दुर्व्यवहार तथा मामलों के आचरण की जांच की प्रक्रिया) नियमावली, 2007 के नियम 19(1) के साथ पठित सी डब्ल्यू ए अधिनियम, 1959 की धारा 21ख (3) के अनुसार सदस्य के विरुद्ध निम्नलिखित आदेश दिए गए हैं :-
- क. "सदस्य की प्रताड़ना
- ख. आदेश दिए जाने के 30 दिनों के भीतर संस्थान के ई आई आर सी को दी जाने वाली 61,461/- रुपए की पूरी राशि तथा जुर्माने की समतुल्य राशि का पुनर्भुगतान
- ग. आदेश देने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के लिए सदस्य का रजिस्टर से नाम हटाना"

तदनुसार, 1,22,922/-रुपए संबंधित व्यक्ति से वसूल किए जाने थे।

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अपील प्राधिकारी के समक्ष एक अपील दायर की गई थी और उपर्युक्त अपील प्राधिकारी ने लागत एवं संकर्म लेखापाल अधिनियम की धारा 22 (ङ) की उप धारा (2) के खंड (ग) के तहत इस उपर्युक्त प्राधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश 09/04/18 के द्वारा उपर्युक्त अपील प्राधिकारी ने उन निर्देशों को पूरा होने तक इंस्टीट्यूट की अनुशासनिक समिति द्वारा पारित अनुचित आदेश के प्रचालन को स्थगित कर दिया है जिनके लिए आदेश दिनांक 09/04/2018 के पैरा (12) के तहत उल्लिखित प्रयोजन के लिए और नया आदेश जारी करने के लिए उपर्युक्त कार्रवाई करने हेतु इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की अनुशासनिक समिति को भेजा जा रहा है।

(iv) एन आई आर सी

- i. आनलाइन देयता की स्थिति के सत्यापन के तहत एन आई आर सी के पास, 1,57,175 रु. की टी डी एस मांग बकाया है। चूंकि उत्तरी भारतीय क्षेत्रीय परिषद मामले पर आयकर प्राधिकारियों के साथ अनुसरण कर रही है, दंड ब्याज के संबंध में बहियों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जो कि देय हो सके, अतः मांग वैध नहीं हो सकती क्योंकि इसे ठीक किए जाने की जरूरत है और आयकर विभाग के साथ अनुसरण करने की जरूरत है। आवश्यक सुधार के क्षेत्रों के लिए टी डी एस की बकाया मांग का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

क्र. सं.	वर्ष	बकाया मांग
1	2020-21	6,050/-
1	2019-20	18,450/-
2	2018-19	23825/-
3	2012-13	35663/-
4	2009-10	12607/-
5	2008-09	43160/-
6	2007-08	17420/-
	कुल	1,57,175/-

- ii. एन आई आर सी की बहियों के अनुसार, 11,25,800/- रु. की राशि दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार मुख्यालय से प्राप्त होनी है। तथापि, मुख्यालय द्वारा भेजे गए लेजर के अनुसार यह दर्शाया गया है कि (3,71,669/-रु.) मुख्यालय द्वारा एन आई आर सी को भुगतान किए जाने हैं। शेष राशि का मिलान कार्य चल रहा है।

9. भुवनेश्वर चैप्टर के संबंध में ई आई आर सी के तहत, जैसा कि चैप्टर लेखापरीक्षक द्वारा सूचित किया गया है :-
- i वर्ष के दौरान, मृतक सदस्य के परिवार को 2,00,000/- रु. के दान का भुगतान कर दिया गया है और प्रशासनिक व्यय के नामे डाला गया है, जो कि उपयुक्त लेखा राशि नहीं है।
- ii. वर्ष के दौरान 60,00,000/- रु. की सावधि जमा (एफ डी) एक गैर-राष्ट्रीकृत बैंक नामतः डी सी बी बैंक में की गई है। इंस्टीट्यूट के दिशा-निर्देशों के अनुसार यह राशि राष्ट्रीकृत बैंक में जमा की जानी चाहिए।
10. 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार 1,18,30,676/- रु. की राशि के जी एस टी इनपुट ऋण को शेष आय एवं व्यय खाते में डाला गया है।
11. क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों के पास चालू खातों के तहत 15,55,30,383/- रु. (निवल जमा) की बिना मिलान की गई राशि शेष है।
12. इंस्टीट्यूट के पास 3,46,943/- रु. की गैर विशिष्ट जमा राशि काफी समय से बकाया रखी है। इस राशि की प्रकृति का पता नहीं लगाया जा सकता।
13. क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों से संबंधित आवश्यक समायोजन की प्रविष्टियां लेखाओं के समेकन के समय कर दी गई हैं।

14. 31 मार्च, 2020 तक की स्थिति के अनुसार उपलब्ध सूचना के आधार पर "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उदयमी विकास अधिनियम, 2006" के अंतर्गत परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उदयमियों को ब्याज सहित कोई राशि देय नहीं है।
15. विगत वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं भी आवश्यक हुआ है, वहां वर्तमान वर्ष के समूहों के समनुरूप पुनःवर्गीकृत और पुनः व्यवस्थित किया गया है।

टिप्पणियां 1 से 20 तक हस्ताक्षरित

सीएमए अर्नब चक्रवर्ती

निदेशक – वित्त

सीएमए पी राजू अय्यर

उपाध्यक्ष

सीएमए कौशिक बनर्जी

सचिव

सीएमए बिस्वरूप बासू

अध्यक्ष

स्थान : कोलकाता

तारीख: 12 सितंबर, 2021

अनुबंध-I (लेखाओं की टिप्पणियों की टिप्पणी – I देखें)

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वित्तीय वर्ष 2020-21 के वार्षिक लेखाओं के प्राप्त होने की स्थिति			
पश्चिमी क्षेत्र		दक्षिणी क्षेत्र	
क्र. सं.	नाम	क्र. सं.	नाम
1	पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद	1	दक्षिणी भारत क्षेत्रीय परिषद
2	आईसीएआई का अहमदाबाद चैप्टर	2	आईसीएआई का बंगलौर चैप्टर
3	आईसीएआई का औरंगाबाद चैप्टर	3	आईसीएआई का भद्रावती-सिमोगा चैप्टर #
4	आईसीएआई का बड़ौदा चैप्टर	4	आईसीएआई का कोचीन चैप्टर
5	आईसीएआई का भिलाई चैप्टर	5	आईसीएआई का कोयंबटूर चैप्टर
6	आईसीएआई का भोपाल चैप्टर	6	आईसीएआई का ईरोड चैप्टर
7	आईसीएआई का बिलासपुर चैप्टर	7	आईसीएआई का गोदावरी चैप्टर
8	आईसीएआई का गोआ चैप्टर	8	आईसीएआई का हैदराबाद चैप्टर
9	आईसीएआई का इंदौर-देवास चैप्टर #	9	आईसीएआई का कोट्टायम चैप्टर
10	आईसीएआई का जबलपुर चैप्टर #	10	आईसीएआई का मुदुरई चैप्टर
11	आईसीएआई का कल्यान-अंबरनाथ चैप्टर	11	आईसीएआई का मंगलौर चैप्टर
12	आईसीएआई का कोल्हापुर-सांगली चैप्टर	12	आईसीएआई का मेतूर-सेलम चैप्टर
13	आईसीएआई का कच्छ-गांधीधाम चैप्टर	13	आईसीएआई का मैसूर चैप्टर
14	आईसीएआई का नागपुर चैप्टर	14	आईसीएआई का नेल्लई-पल सिटी चैप्टर
15	आईसीएआई का नासिक-ओजार चैप्टर	15	आईसीएआई का नेल्लूर चैप्टर
16	आईसीएआई का नवी मुंबई चैप्टर	16	आईसीएआई का नेवेली चैप्टर #
17	आईसीएआई का पिम्परी-चिंचवाड-अकुरडी चैप्टर	17	आईसीएआई का पलक्काड चैप्टर
18	आईसीएआई का पुणे चैप्टर	18	आईसीएआई का पांडिचेरी चैप्टर
19	आईसीएआई का रायपुर चैप्टर	19	आईसीएआई का रानीपेट-वेल्लूर चैप्टर
20	आईसीएआई का सूरत-गुजरात चैप्टर	20	आईसीएआई का त्रिशूर चैप्टर
21	आईसीएआई का वापी-दमन-सिलवासा चैप्टर	21	आईसीएआई का त्रिचूरपल्ली चैप्टर
22	आईसीएआई का विंध्यानगर चैप्टर #	22	आईसीएआई का त्रिवेन्द्रम चैप्टर
23	आईसीएआई का सोलापुर चैप्टर	23	आईसीएआई का उकननाग्रम चैप्टर
24	आईसीएआई का भरुच अंकलेश्वर चैप्टर	24	आईसीएआई का विजयवाड़ा चैप्टर
25	सिंगरौली चैप्टर	25	आईसीएआई का विशाखापट्टनम चैप्टर
		26	होसूर चैप्टर
		27	कोजिखोड – मल्लापुरम चैप्टर

पूर्वी क्षेत्र			उत्तरी क्षेत्र		
क्र. सं.	नाम		क्र. सं.	नाम	
1	पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद		1	उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद	
2	आईसीएआई का अगरतला चैप्टर #		2	आईसीएआई का आगरा-मथुरा चैप्टर	
3	आईसीएआई का आसनसोल चैप्टर		3	आईसीएआई का अजमेर-भीलवाड़ा चैप्टर	
4	आईसीएआई का बोकारो स्टील सिटी चैप्टर		4	आईसीएआई का इलाहाबाद चैप्टर	
5	आईसीएआई का भुवनेश्वर चैप्टर		5	आईसीएआई का चंडीगढ़-पंचकुला चैप्टर	
6	आईसीएआई का कटक-जगतसिंहपुर-केन्द्रपारा चैप्टर		6	आईसीएआई का देहरादून चैप्टर #	
7	आईसीएआई का धनबाद-सिंदरी चैप्टर		7	आईसीएआई का फरीदाबाद चैप्टर	
8	आईसीएआई का दुर्गापुर चैप्टर		8	आईसीएआई का गाजियाबाद चैप्टर #	
9	आईसीएआई का गुवाहाटी चैप्टर		9	आईसीएआई का गोरखपुर चैप्टर	
10	आईसीएआई का हजारीबाग चैप्टर		10	आईसीएआई का गुडगांव चैप्टर	
11	आईसीएआई का हावड़ा चैप्टर		11	आईसीएआई का हरिद्वार-ऋषिकेश चैप्टर	
12	आईसीएआई का जाजपुर - क्योंझार चैप्टर #		12	आईसीएआई का जयपुर चैप्टर	
13	आईसीएआई का जमशेदपुर चैप्टर		13	आईसीएआई का जालंधर चैप्टर	
14	आईसीएआई का खड़गपुर चैप्टर		14	आईसीएआई का जम्मू चैप्टर #	
15	आईसीएआई का नईहत्ती - इच्छापुर चैप्टर #		15	आईसीएआई का झांसी चैप्टर #	
16	आईसीएआई का पटना चैप्टर		16	आईसीएआई का जोधपुर चैप्टर #	
17	आईसीएआई का राजपुर चैप्टर		17	आईसीएआई का कानपुर चैप्टर	
18	आईसीएआई का रांची चैप्टर		18	आईसीएआई का कोटा चैप्टर	
19	आईसीएआई का राउरकेला चैप्टर		19	आईसीएआई का लखनऊ चैप्टर #	
20	आईसीएआई का संबलपुर चैप्टर #		20	आईसीएआई का लुधियाना चैप्टर	
21	आईसीएआई का सेरामपोर चैप्टर		21	आईसीएआई का नया नागल चैप्टर	
22	आईसीएआई का सिलीगुड़ी-गंगटोक चैप्टर		22	आईसीएआई का नोएडा चैप्टर	
23	आईसीएआई का साउथ ओडिशा चैप्टर		23	आईसीएआई का पटियाला चैप्टर	
24	आईसीएआई का तलचर-अंगुल चैप्टर		24	आईसीएआई का उदयपुर चैप्टर	
25	आईसीएआई का धुलियाजान चैप्टर		25	आईसीएआई का बीकानेर झुंझनु चैप्टर	
26	चन्द्रपुर चैप्टर #		26	आई सी ए आई का करनेल पानीपत चैप्टर	
27	आई सी ए आई का बांकुरा चैप्टर		27	आई सी ए आई का सोनीपत चैप्टर #	
28	आई सी ए आई का बालेश्वर चैप्टर #		28	आई सी ए आई का श्रीनगर चैप्टर	
29	आई सी ए आई का पटना साहेब चैप्टर		29	आई सी ए आई का मेरठ चैप्टर	
30	आई सी ए आई का मुजफ्फरपुर चैप्टर		30	आई सी ए आई का सहारनपुर चैप्टर	
			31	आई सी ए आई का बेवर चैप्टर	
			32	शिमला	

#वर्तमान वर्ष के दौरान शामिल नहीं है क्योंकि वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं।

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2021

No. G/20-CWA/9/2021.—In pursuance of Sub-Section 5B of Section 18 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Annual Report of the Council of the Institute and the Audited Accounts of the said Institute for the year ended 31st March, 2021 are hereby published for general information.

KAUSHIK BANERJEE, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./286/2021-22]

62nd, ANNUAL REPORT, 2020-21

The Council of the Institute of Cost Accountants of India takes pleasure in presenting this 62nd Annual Report giving the achievements and activities of Departments, Committees, Regions and Chapters of the Institute.

Abridged Annual Report 2020-21

Directorate and its Activities

Activities of the Committees/Boards/Cells/ Directorates

✓ **President's Office**

The department carried out various tasks, and jobs assigned by Council Members, Past Presidents and Higher Officials of the Institute. Some of the key initiatives are as follows:

- Correspondence with Ministries, Government Departments and agencies
- Technical Support to President & Vice-President
- Support to all major events of the Institute

✓ **Directorate of Examination**

Due to Covid-19 situation in the country, examinations were conducted through online mode from both center and home mode. The Foundation examination of June 2020 terms was held in September 2020 and December 2020. The merged examination of June 2020 and December 2020 terms of Intermediate and Final examinations were held in January 2021. The Examination was conducted in 206 examination centers including 3 overseas centers. In total there were 20,547 examinees for Foundation examination and 61,075 examinees had appeared in the Intermediate and Final examinations.

✓ **Directorate of Studies**

The Directorate is having five distinct wings

- (A) Academics
- (B) Administrative
- (C) Career Counselling
- (D) Training
- (E) Placement

The Directorate mainly emphasizes on:

1. Students Statistics
 - 1.1 Region-wise admission in Foundation Course:
 - 1.2 Region-Wise Registration for Intermediate Course
 - 1.3 Region-Wise Registration for Final Course
 - 1.4 Total Region-Wise Registration
2. Initiatives taken for capacity building through qualitative improvements
3. Support services to the students
4. Revalidation Status for 2020-21
5. Social Responsibilities
6. Employability & Techno Skill Training for CMA Intermediate Students

7. Campus Placement Drives for Qualified CMAs of December 2020 Term
8. Practical Training Activities [2020-2021]
9. CMA Career Counselling Programmes [2020-2021]
10. CMA National Online Business Quiz 2021

✓ **Membership Department**

The Membership Department, under the guidance of the Members' Facilities Committee, and under the active leadership, CMA Biswarup Basu, President of the Institute and CMA (Dr.) V. Murali, Chairman of the Members' Facilities Committee, has continued to improve and offer seamless services, mostly through online mode to members throughout the year even during LOCKDOWN period. 1360 members were newly admitted as Associate members and 387 members were advanced to Fellowship during the FY 2020-2021. It was a steady growth observed in the area of granting Certificate of Practice during FY 2020-2021.

With the provision for introduction of new special feature of restoration of CoP, the existing special features which were introduced earlier were continued as under:

- Provision for restoration of Certificate of Practice.
- Waiver of convenience charges / bank charges in making online payments by Members
- Provision for incorporation of GST number against membership number along with the reflection of the same in their corresponding membership fees receipts
- Introduction of facility of payment of membership fee online without login
- Faster grant of Membership and Certificate of Practice in a regular manner.
- Continuous improvement for a seamless digital experience covering all activities of membership through online facility

✓ **Directorate of Journal & Publications**

- The Directorate publishes monthly journal "The Management Accountant" and quarterly journal "Research Bulletin" on regular basis.
- The Management Accountant journal is now available in 94 countries across the world and continuously trying to increase the same to other parts of the world.
- The Management Accountant journal is available on apps for reading through third parties viz. Magzter and Read where and the Directorate is also trying to enlist the same to other platforms mainly at the International Level.

✓ **Information Technology Department**

The Institute made effective use of Information Technology not only to improve efficiency and service delivery to the stakeholders but also to enhance interaction with the stakeholders

- Launching of Online Student Registration System
- Conducting Meetings / Online Classes through Online Platforms
- Redesigning and creation of other Portals
- Online Book Sale
- Membership Online System
- Oracle Database
- Domain Server

✓ **Professional Development & CPD Directorate**

❖ **PROFESSIONAL DEVELOPMENT ACTIVITIES**

- Recognition of CMAs on the Institute's representation
- Representations to Government, PSUs, Banks and Other Organizations
- Unique Document Identification Number (UDIN) for Practitioners
- Mandatory Capacity Building Training (MCBT) for COP holders
- Other Professional Development Initiatives

1. Formation of sub-committee on Healthcare

2. Invited EOI on behalf of Directorate of Revenue Intelligence
3. Submission to Central Electricity Regulatory Commission
4. Virtual Practitioner's Meet 2020
5. Joint activities with the Indian Institute of Corporate Affairs

❖ **CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD) ACTIVITIES**

- Increase in the Online(e-learning) activities i.e. Webinars and Webint
- Programmes & Webinars Organised by PD & CPD Committee
- Joint Programmes

❖ **PRESTIGIOUS AWARDS OF THE INSTITUTE**

- National Awards for Excellence in Cost Management for organisations
- CMA Awards for the Members in employment

✓ **Regional Council & Chapters Coordination Committee**

The Committee is tasked with:

- Bridging the gap among Headquarter, Regional Councils & Chapters
- Improving operational efficiencies
- Encouraging Regional Council & Chapters to cooperate with compliance, rules & regulations of the Institute
- Proactively identifying issues and facilitating joint action on cross-cutting issues or issues of shared Concern.

Activities of the Committee:

- Regional Level Chapters Meet for Accounts, Budget and Chapter AGM
- National Regional Council & Chapters Meet
- New Chapter
- Programmes and Webinars

✓ **International Affairs Department**

- Recognition of CMA qualification by UK, NARIC
- Opening of London Overseas Centre of Cost Accountants
- Proposal to impart CMA Course in foreign jurisdictions
- MoUs with Foreign Professional Accountancy Bodies/Organisations
- International Meetings & Events

✓ **Tax Research Department/Taxation Committee**

- ❖ Celebrating the 4th Anniversary of GST Day
- ❖ Tax Bulletins
- ❖ Workshops
- ❖ Webinars
- ❖ Representation to the Government
- ❖ Taxation Help Desk
- ❖ Taxation Courses:

Indirect Taxation

- Certificate Course on GST
- Advanced Certificate Course on GST
- GST Course for College and Universities
- Advance Course on GST Audit and Assessment

Direct Taxation

- Certificate Course on TDS
- Certificate Course on Income Tax Return Filing
- Advance Course on Income Tax Appeals and Assessment

✓ **CAT Directorate**

The CAT Directorate ensured during the COVID-19 pandemic that students of CAT course and other stakeholders are properly & amicably assisted and addressed to. The swift adoption of technology for the purpose helped not only students but avoided pendency of work too.

Activities:

- MOU between the Institute and Maharashtra State Skill Development Society (MSSDS)
- CAT Online home- based Examination
- Updation of CAT syllabus
- Proposal to implement CAT Course in the States of India
- MOU between the Institute and AAT
- Financial Inclusion Month
- New ROCCs and Career Counselling Activities in ROCCs
- WEBINT

✓ **Board of Advanced Studies & Research**

- Advanced Studies Courses
 - ⇒ Data Analytics for Finance Professionals
 - ⇒ Diploma in Information System Security Audit
 - ⇒ Diploma in Forensic audit
 - ⇒ Advanced Business Excel for Finance Professionals
 - ⇒ SAP Finance Power User Course
 - ⇒ Executive Diploma in Cost & Management Accounting for Engineers
 - ⇒ Executive Diploma in Business Valuation
 - ⇒ Certificate Course in arbitration
- Performance at a Glance
 - ⇒ 8 New age courses
 - ⇒ 1770 participants
 - ⇒ More than 500 corporate participations
 - ⇒ Participation from 15 countries
 - ⇒ 2 times online proctored based examinations
 - ⇒ 3 collaborations – SAP, Microsoft, NI-MSME
 - ⇒ 20 important events
 - ⇒ Guidance Note for DISSA
 - ⇒ Industry recognition of DISSA/DFA Course

✓ **Technical Department**

- Guidance Note on Local / Indigenous Content in Manufacturing / Production & Supply of Goods and Services
- Concept Paper on Presentation and Disclosure in Cost Statements as per Cost Accounting Standards
- Concept Paper on revised definition of Interest and Finance Cost
- Concept Paper on Treatment of Interest and Finance Cost in Cost Statements
- Concept Paper on Inventory Valuation
- Issuance of FAQs-3 on Maintenance of Cost Records and Audit thereof
- Advisory Services by the Technical Cell
- Responses by the Technical Cell to the Queries of members / stakeholders

✓ **Cost Accounting Standards Board (CASB)**

- Advisory on the treatment of various items of costs in light of COVID 19 Pandemic for the year 2020-21
- Amendment in the Preface to the Cost Accounting Standards
- Updation of the Glossary of terms & definitions in CAS issued by the CASB
- Revision of the Cost Accounting Standards

✓ **Cost Auditing and Assurance Standards Board (CAASB)**

- Release of SCA wise FAQs on SCAs 101 – 104
- Release of Exposure draft of Standard on Quality Control
- Development of the New Draft Standards
- Core Group of the Board to consider revisions in the SCAs

✓ **Peer Review Board (PRB)**

The Board met virtually five times during the term. The Board has been taking all necessary steps to kick start the Peer Review Process at the earliest. During the term the Board has taken up the following activities under the Chairmanship of CMA P.S. Bhattacharyya:

- Board decided to develop a Peer Review Manual (PRM) consisting of all formats, process flow charts, templates, guidance for reviewers & practice units, peer review system and certificates.
- The Board decided to have a virtual Panel Discussion to have the views of the practitioners.
- The Board has finalized the draft PRM and decided to refer the finalized draft PRM to the Quality Review Board of the Institute for its vetting and finalization.

✓ **Internal Committee**

As envisaged under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressed) Act, 2013 the annual report of the Internal Committee of Institute for the period is as follows:-

Number of complaints of Sexual Harassment received in the year (1 st April,2020 to 31 st March,2021)	3
Number of complaints of Sexual Harassment registered & disposed off in the year (1 st April,2020 to 31 st March,2021)	1

Number of complaints of Sexual Harassment received & report submitted to Secretary of the Institute in the year (1 st April,2020 to 31 st March,2021)	2
Webinar for awareness carried out on Sexual harassment (1 st April,2020 to 31 st March,2021)	3

✓ **Internal Control Department**

Internal Audit

The Department had coordinated for the appointment of Internal Auditors for the year 2020-2021 for four Regional Councils (WIRC, SIRC, EIRC and NIRC) and five Chapters (Bangalore, Cochin, Hyderabad, Bhubaneswar, Jaipur) with Turnover exceeding Rs. 1 crore

and above through an Expression of Interest and also providing the scope of work and necessary coordination for such audit.

Purchase Proposals

The department has been vetting various purchase proposals originating from different departments at HQ, Delhi Office along with procurement proposals of Regional Councils and Chapters.

C & AG Audit Replies

The department also provided the requisite support services in compliance to the C & AG Outstanding Paras for both Headquarters, Chapters and Regions of the Institute as per the directions of the competent authority.

✓ **Banking Financial Services & Insurance Board**

• **Professional Development Activities**

Investor Month in the month of August, 2021

Banking Month in the month of July, 2021

Insurance Month in the month of June, 2021

Observance of MSME Month in the month of April 2021

• **Certificate Courses**

Certificate Course on Investment Management in collaboration with NISM (An educational initiative of SEBI)

Certificate Courses on Banking

Certificate Course on General Insurance in association with National Insurance Academy

• **Professional Publications**

Publication of the Guidance Note on "Aide Memoire" on Lending to Micro, Small and Medium Enterprises Sector

Banking, Financial Services and Insurance (BFSI) Chronicle

MSME Bulletin Special Issue published by the Board

✓ **Members in Industry Committee**

- The Members in Industry Committee jointly with the Board of Advanced Studies & Research organized a 2 Day CMA e-Connect Virtual Seminar on "Case Studies and Intricacies in GSTR Annual Return (GSTR9)" on 17th & 18th October 2020.
- An interactive Webinar session on "Budget Analysis – 2021 with Global Perspective" was organized on 8th February 2021 to analyse and discuss various aspects of Budget – 2021 organized by the Members in Industry Committee and Tax Research Department in association with St. Xavier's College (Autonomous), Kolkata and supported by London Overseas Centre of Cost Accountants.

- The Members in Industry Committee and Board of Advanced Studies & Research had successfully organized a National level Virtual Webinar on the theme “CMAs – The Future Ready Professionals: Industry Expectations” on 12th June 2021.
- ✓ **PR Department**
 - Institute’s request to Govt. Ministries and Departments and its follows up
 - Media Management
 - Investor Awareness Programmes
 - Inviting VVIP’s for Institute’s Programmes as Chief Guests and Guests of Honor on behalf of the Institute
 - Co-ordination for messages from Ministers for various events
- ✓ **Management Accounting Committee**
 - The Management Accounting Committee under the Chairmanship of CMA Neeraj D. Joshi had successfully organized 5-day WEBINT series of ‘Capacity Building Program on Integrated Reporting’ from 14th to 18th December, 2020.
 - The Chairman CMA Neeraj D. Joshi, visited Shri C.R. Patil, Hon’ble Member of Parliament (Lok Sabha), Navsari, Gujarat; Shri Narayan Tatu Rane, Hon’ble Union Minister for Micro, Small and Medium Enterprises; Dr. Bhagwat Kishanrao Karad, Hon’ble Union Minister of State for Finance; to discuss the values, practice and scope of Management Accounting profession and the role the Institute of Cost Accountants of India plays to contribute in the development of economic growth in the Country.

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

To

The Council of

The Institute of Cost Accountants of India

Report on the Audit of the Financial Statements

Qualified Opinion

We have audited the accompanying financial statements of the Institute of Cost Accountants of India (‘the Institute’) which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2021, the Statement of Income and Expenditure and the Cash Flow Statement for the year then ended and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, *except for the effects of the matters described in the basis for qualified opinion paragraph*, the accompanying financial statements prepared in all material respects in accordance with the Cost and Works Accountants Act, 1959, give a true and fair view of the financial position of the Institute as at 31st March, 2021, its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

Basis for Qualified Opinion

1. Capital Work in Progress (Old Balances): Rs. 6,01,18,893

The above represents old Capital Work-in-Progress balances (CWIP) in respect of which no further work has been carried out/undertaken by the Institute for a very long period of time (for more than 5 years) for which impairment

analysis/feasibility study has to be carried out immediately and for which necessary provisions has to be made in the accounts. Details of such unmoved old CWIP balances are given as below:

Particulars	Amount (Rs.)	Remarks
Centre of Excellence Ajmer	60,28,800	Prior to 2010
Jaipur Chapter	30,11,000	No progress of work has been observed from 2016 onwards.

Hyderabad Centre of Excellence	10,37,781	Represents amount incurred towards cost of supply & installation of fire hydrant & sprinkler system at HCE Building during 2015.
Jaipur Centre of Excellence	62,962	Amount paid to Dolphin Engineer on 31.03.2017 for soil testing, no work has been done since then.
Navi Mumbai Centre of Excellence	4,99,78,350	Last amount paid Rs. 5,24,750/- on 13.07.2016 & Rs. 22,400/- on 17.08.2016 to Gulraj Construction. However, litigation is pending before Bombay High Court vide Arbitration Petition (ST) 7232 of 2017.
TOTAL	6,01,18,893	

- In respect of Eastern Regional Council (EIRC) of the Institute of Cost Accountants of India, as reported by the respective auditor and also apparent from notes to accounts, out of total Trade Receivables of Rs.36,40,096/-, a sum of Rs. 12,29,729/- are more than nine years old for which no provision has been made in the books. [Refer Note 8 (iii) (a) of Notes to the financial statements].
- Other advances includes Rs. 1,36,097/- due from former council member owing to disallowances by MCA, Govt. of India and presently is sub judice for which no provision has been made in the accounts [Refer Note 6 of Notes to the financial statements].
- Delhi Office – Trade Receivables includes the following very old outstanding balance lying unrecovered /unrealised for a considerable period of time, for which provision has not been made in the accounts:

CAT – Andhra Pradesh State Skill Dev. Corporation

: Rs. 13,98,690 since 2016-17

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of (ICAI). Our responsibilities under those standards are further described in the *Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements* section of our report. We are independent of the Institute in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements and we have fulfilled our responsibilities in accordance with. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion.

Emphasis of Matter

We draw attention to the following notes:

- In respect of Western Regional Council (WIRC), as reported by the respective auditor and also apparent from notes to accounts: -

- i) Claims Receivable from FDAPL of Rs. 67,30,000/- is disputed by the party, which is considered as fully recoverable by the WIRC. Similarly, Rs. 67,30,000/- Claims Suspense -FDAPL is appearing under Current Liabilities for which WIRC has received reminders from the party for payment. [Refer Note 8 (ii) (1) of the Notes to financial statements].
 - ii) In absence of actuarial valuation of gratuity liability by LIC, provision for gratuity has been made on the basis of the actual payment made to LIC for premium and additional contribution on account of enhanced liability due to amendment of the Payment of Gratuity Act, 1972. [Refer Note 8 (ii) (3) of the Notes to financial statements].
 - iii) Letters have been issued by WIRC for confirmation of account balances in respect of receivables, loans & advances and trade payables etc. to respective parties but balances are subject to confirmations. [Refer Note 8 (ii) (4) of the Notes to financial statements].
- b) In respect of Bhubaneswar Chapter under EIRC, as reported by the respective auditor and also apparent from notes to accounts: -
- i) During the year, donation of Rs. 2,00,000/- has been paid to the family of deceased member, debited to Administrative Expenses, which is not the appropriate 'Head of Account'. [Refer Note 9 (i) of the Notes to financial statements]
 - ii) During the year, fixed deposits amounting to RS. 60,00,000/- has been made with a Non-Nationalised Bank, namely, DCB Bank for a period of 3 years. As per Institute' guideline sane is required to be parked with Nationalised Bank. [Refer Note 9(ii) of the Notes to financial statements]

Our opinion has not been modified in respect of these matters.

Responsibilities of Management for the Financial Statements

Institute's Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with the Cost and Works Accountants Act, 1959 and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the management is responsible for assessing the Institute's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Institute or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The management is responsible for overseeing the Institute's financial reporting process.

Auditor's Responsibility for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Institute's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Institute's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material

uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Institute to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Other Matters

1. (a) We did not audit the financial statements of four Regional Councils and ninety one Chapters whose financial statements reflect total assets of Rs. 184,75,69,767/- and total revenue of Rs.5,14,08,779/-, as considered in the financial statements. The financial statements of these Regional Councils have been audited by other auditors, appointed by the respective Regional Councils and the financial statements of majority of these Chapters have been audited by Cost Accountants appointed by Governing Bodies of the Chapters in terms of regulation 133 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, and Clause 26 of the Chapter Bye-laws of the Institute, whose reports have been furnished to us by the Management and our opinion on the financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these Regional Councils and Chapters and our report in terms of sub-section (3) and (11) of Section 143 of the Act, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these aforesaid Councils and Chapters is based solely on the reports of the other auditors and Cost Accountants respectively.
- (b) We did not audit the financial statements of five Chapters whose financial statements are unaudited and certified by the Management have been furnished to us by the Management and our opinion on the financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these Chapters and our report in terms of sub-section (3) and (11) of Section 143 of the Act, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these aforesaid Chapters based solely on such unaudited financial statements as certified by the Management. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Management, these financial statements, as certified by the Management are not material in the context of overall financial statements of the Institute.
- (c) The financial statements for the year of the Institute does not include the financial statements of nineteen Chapters, as no financial statements have been received from their end.
- (d) The financial statements for the year of the Institute includes sixty-eight Chapters were audited by Cost Accountants.

Our opinion on the aforesaid financial statements and our report on Other Legal Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and Cost Accountants and the financial statements certified by the management.

2. In respect of Eastern Regional Council (EIRC), as reported by the respective auditor and also apparent from notes to accounts: -
 - i) Rent received during the year from SBI @ 1,60,000/- per month for which GST bill has been raised by EIRC but no GST has yet been collected on that Rental Income from SBI. As per lease agreement, rent is exclusive of applicable GST. [Refer Note 8 (iii) (b) of the Notes to financial statements].
 - ii) As per Lease Agreement with SBI for five years with effect from 01.04.2019, the lessee i.e., SBI will pay for 6 months' rent and service charges as advance towards interest- free refundable security deposit on or before taking possession. However, EIRC has not yet collected that Security Deposit amount from the lessee. EIRC has made provision for the amount in the accounts of the FY 2019-20. [Refer Note 8 (iii) (c) of the Notes to financial statements].
 - iii) In respect of Eastern Regional Council (EIRC), as reported by the respective auditor and also apparent from notes to accounts, TDS Receivable of Rs. 34,19,372/- as on 31.03.2021 is subject to thorough reconciliation with reference to the physical TDS certificates as well as actual deposits to the Department from Income Tax portal. [Refer Note 8 (iii) (d) of the Notes to financial statements].
3. In respect of Northern Regional Council (NIRC), as reported by the respective auditor and also apparent from notes to accounts: -

As per books of NIRC, an amount of Rs. 11,25,800/- is receivable from Headquarters as on

31.03.2021. However, as per ledger sent by Headquarters it shows that (Rs. 3,71,669/-) is payable by Headquarters to NIRC, which is subject to reconciliation. [Refer Note 8 (iv) (ii) of the Notes to financial statements].

4. Investments (Not held in the name of the Institute) –

- a) Investments in Insolvency Professional Agency of ICAI include 6 shares of Rs. 10/- each not held in the name of the Institute but in the names of nominees of ICAI.
- b) Investments in ICMA - Registered Valuers Organisation include 1 share of Rs. 10/- each not held in the name of the Institute but in the name of nominee of ICAI.

Report on Other Regulatory Requirements

Further to our comments in above mentioned paragraph, we report that:

- a. Except for the effects of the matters described in the basis for qualified opinion paragraph herein above, we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit excepting few small Chapters;
- b. Except for the effects of the matters described in the basis for qualified opinion paragraph herein above, in our opinion proper books of account as required by law, have been kept by the Institute so far as appears from our examination of those books and proper Returns adequate for the purpose of our audit have been received from the Regions and Chapters not visited by us read with paragraph 1 of 'Other Matters';
- c. The reports on the accounts of the Regional Councils and Chapters of the Institute audited by the other auditors of the respective Regions and Chapters as have been received by us, were properly dealt with in preparing this report.
- d. The Institute's Balance Sheet, the Statement of Income and Expenditure and Cash Flow

Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account.

For RAY& RAY

Chartered Accountants

(Firm's Registration No: 301072E)

Place: Kolkata,

Date: 12th September, 2021

(Asish Kumar Mukhopadhyay)

Partner

Membership No. 056359

(UDIN 21056359AAAABR8352)

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA				
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2021				
As At 31st March 2020 Rs.	PARTICULARS	Note	As At 31st March 2021	
			Rs.	Rs.
	<u>SOURCES OF FUNDS</u>			
	<u>INSTITUTE FUND</u>			
3,28,82,67,556	General Fund	(1)		3,52,86,60,115
13,61,970	Employees' Gratuity Fund	(2)		12,70,179
1,05,90,087	Miscellaneous Prize Fund	(3)		1,19,35,319
3,93,02,024	Other Funds	(4)		5,04,57,717
36,69,04,589	Current Liabilities	(5)		38,56,11,482
1,74,85,331	Provisions	(6)		1,63,81,951
3,72,39,11,557	TOTAL			3,99,43,16,763

APPLICATION OF FUNDS				
Non Current Assets				
66,36,12,754	a) Property, Plant and Equipment	(7)	62,98,76,902	62,98,76,902
33,40,195	b) Intangible Assets	(7)	11,56,523	11,56,523
6,49,48,643	Capital Work In Progress			6,44,00,406
11,11,50,750	Investments	(8)		11,11,51,147
Current Assets				
1,85,93,985	Inventories	(9)	92,15,300	
13,65,48,298	Trade Receivables	(10)	12,76,00,355	
2,66,93,74,915	Cash and Cash Equivalents	(11)	2,96,43,39,929	
5,63,42,017	Loans and Advances	(12)	8,65,76,201	
				3,18,77,31,785
2,88,08,59,215				
3,72,39,11,557	TOTAL			3,99,43,16,763
	Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	(20)		
Accompanying Notes 1-20 form an integral part of the financial statements				
This is the Balance sheet referred to in our report of even date. For RAY & RAY Chartered Accountants Firm Regn. No. : 301072E ASISH KUMAR MUKHOPADHYAY Partner Membership No. : 056359 Place : Kolkata Dated : CMA Arnab Chakraborty Director -Finance CMA Kaushik Banerjee Secretary CMA P Raju Iyer Vice President CMA Biswarup Basu President				

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH,2021			
For the Year ended 31st March 2020	PARTICULARS	Note	For the Year ended 31st March 2021
Rupees			Rupees
	INCOME :		
4,81,68,453	Membership and Other Fees	(13)	4,14,92,244
78,31,58,351	Tuition and Other Fees	(14)	80,14,88,797
19,96,20,102	Examination and Other Fees	(15)	15,70,93,010
3,01,30,511	C. P.D and Other Programme Fees		25,86,999
6,82,934	Journal Subscription incl. Advertisement		3,04,020
5,60,108	Sale of Publication		76,345
16,86,20,003	Interest		16,77,04,452
89,93,898	Other Income		68,82,627
1,23,99,34,360	TOTAL		1,17,76,28,494
	EXPENDITURE :		
29,17,53,676	Establishment Expenses	(16)	29,50,83,924
13,83,53,610	Office Expenses	(17)	13,23,52,795
17,24,280	Statutory Audit Fees (Note -7)		18,42,372
1,15,15,185	Travelling & Conveyance		57,84,498
11,94,75,491	Examination Expenses	(18)	8,96,25,246
2,61,91,773	Council and Committee Meeting Expenses		1,04,55,464
1,24,84,257	Election Expenses incl. Tribunal		1,02,587
91,34,964	Journal Expenses		80,03,945
84,86,308	Membership Subscription to Foreign Bodies		91,80,183
58,81,173	Conference & Meeting International		22,036

3,77,70,833	C. P.D, Technical Skill Development and Other Programme Expenses	(19)	44,99,886
1,05,30,783	Professional Development Expenses		27,38,377
12,90,47,748	Coaching Expenses		23,96,69,959
2,44,07,259	Study Materials and Prospectus Consumed		4,88,58,662
1,92,465	Publication Stock Consumed		8,77,604
19,36,746	Inventories and bad debts written off		8,65,573
5,60,23,237	Depreciation and amortisation		5,21,39,398
-	Donation to PM Cares Fund		2,57,99,000
88,49,09,788	TOTAL		92,79,01,509
35,50,24,572	Balance being excess of Income over Expenditure		24,97,26,985
54,78,292	Prior Period Adjustments (Net)	(19A)	1,19,09,239
34,95,46,280	Balance being Surplus transferred to General Fund		23,78,17,746
	Significat Accounting Policies and Notes to Accounts	(20)	
Accompanying Notes 1-20 form an integral part of the financial statements			
This is the Statement of Income and Expenditure referred to in our report of even date. For RAY & RAY			
Chartered Accountants			
Firm Regn. No. : 301072E			
	CMA Arnab Chakraborty	CMA Kaushik Banerjee	
	Director -Finance	Secretary	
ASISH KUMAR MUKHOPADHYAY			
Partner			
Membership No. : 056359			
	CMA P Raju Iyer	CMA Biswarup Basu	
Place : Kolkata	Vice President	President	
Dated :			

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2021			
For the year ended 31st March 2020	PARTICULARS	For the year ended 31st March 2021	For the year ended 31st March 2021
Rs		Rs	Rs
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES			
34,95,46,280	SURPLUS BEFORE TAXATION AND EXTRAORDINARY ITEM	23,78,17,746	
	ADJUSTMENTS FOR:-		
5,60,23,237	DEPRECIATION AND AMORTISATION	5,21,39,398	
40,55,69,517	OPERATING SURPLUS BEFORE WORKING CAPITAL CHANGES	28,99,57,144	
	ADJUSTMENTS FOR WORKING CAPITAL CHANGES		
8,35,28,626	INCREASE/(DECREASE) IN CURRENT LIABILITIES	1,76,03,513	
3,20,71,615	(INCREASE)/DECREASE IN CURRENT ASSETS	(1,19,07,556)	
5,14,57,011		56,95,957	
45,70,26,528	NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES (A)		29,56,53,101
B. CASH FLOW FROM INVESTMENT ACTIVITIES			
1,75,09,863	MOVEMENTS IN PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENTS INCLUDING CWIP	3,64,67,761	
-	DECREASE IN INVESTMENT	(397)	
1,75,09,863	NET CASH FROM INVESTING ACTIVITIES (B)		3,64,67,364
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES			
(1,05,79,340)	MOVEMENT IN FUND BALANCE	(3,71,55,451)	
(1,05,79,340)	NET CASH FROM FINANCING ACTIVITIES (C)		(3,71,55,451)
46,39,57,051	NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (A+B+C)		29,49,65,014

2,20,54,17,864	ADD- CASH & CASH EQUIVALENT AT THE BEGINNING OF THE PERIOD		2,66,93,74,915
2,66,93,74,915	CASH & CASH EQUIVALENT AT THE END OF THE PERIOD		2,96,43,39,929
NOTES:- i. The above Cash Flow Statement has been prepared under 'Indirect Method' as set out in Accounting standard, AS - 3 on "Cash Flow Statement". ii. Cash and Cash Equivalents represent :			
11,35,445	Cash in hand	12,13,355	
24,77,15,305	Bank Balance - Current Account	18,46,14,031	
6,36,87,419	Bank Balance - Savings Account	8,29,96,593	
2,35,68,36,746	Fixed Deposits	2,69,55,15,950	
2,66,93,74,915		2,96,43,39,929	
This is the Cash Flow Statement referred to in our report of even date. For RAY & RAY Chartered Accountants Firm Regn. No. : 301072E CMA Arnab Chakraborty Director -Finance CMA Kaushik Banerjee Secretary ASISH KUMAR MUKHOPADHYAY Partner Membership No. : 056359 CMA P Raju Iyer Vice President CMA Biswarup Basu President Place : Kolkata Dated :			

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)

NOTE NO.1 : GENERAL FUND

As At 31st march 2020 Rs.	PARTICULARS	As At 31st March 2021 Rs.
2,90,65,64,207	Balance as per last Accounts	3,28,82,67,556
	Add :	
2,62,91,000	i) Capitalization of Chapter's Land & Building	60,01,602
27,62,427	ii) Capitalization of Cochin Chapter's Building	-
2,93,56,17,634		3,29,42,69,158
2,93,56,17,634		3,29,42,69,158
	- Less- Adjustment for Hyderabad building	60,01,602
27,62,427	Less- Adjustment for Cochin Chapter's building	-
	- Less : Gratuity and leave encashment	2,40,000
31,03,642	Add : Entrance Fees (Member)	28,14,813
2,93,87,21,276		3,29,08,42,369
	Add : Surplus for the year as per annexed Statement of Income and Expenditure	23,78,17,746
3,28,82,67,556		3,52,86,60,115

NOTE NO. 2 :
EMPLOYEES' GRATUITY FUND

As At 31st march 2020 Rs.	PARTICULARS	As At 31st March 2021 Rs.
18,15,482	Balance as per last Account	13,61,970
4,46,886	Add : Contribution for the year	18,85,132
22,62,368		32,47,102
67,002	Add : Interest earned on Fixed Deposit during the year	43,910
9,58,230	Less : Amount Paid	20,05,763
9,170	Less : Transferred to gratuity fund during the year	15,070
13,61,970		12,70,179

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)

NOTE NO. 3 :
MISCELLANEOUS PRIZE FUND

As At 31st march 2020 Rs.	PARTICULARS	As At 31st March 2021 Rs.
85,77,189	Balance as per Previous Balance Sheet	1,05,90,087
14,08,791	Add : Addition during the year	10,96,918
6,66,272	Add : Income credited during the year	3,06,653
(62,165)	Less : Cost of the prize	(58,339)
1,05,90,087		1,19,35,319

NOTE NO. 4 :

OTHER FUN D

As At 31st march 2020 Rs.	PARTICULARS	As At 31st March 2021 Rs.
5,59,371	Building Fund	5,45,277
46,000	Library Fund	34,59,322
3,86,96,653	Miscellaneous Fund	4,64,53,118
3,93,02,024		5,04,57,717

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)

NOTE NO.5 :
CURRENT LIABILITIES

As At 31st March 2020 Rs.	PARTICULARS	As At 31st March 2021 Rs.
31,21,975	Library Deposit	32,53,256
2,85,33,387	Trade Payables	5,29,34,912
18,16,78,366	Current Account with Regional Councils and Chapters	15,55,30,383
14,93,78,944	Other Liabilities	16,83,71,439
41,91,917	TDS Payable	55,21,492
36,69,04,589		38,56,11,482

NOTE NO.6 :
PROVISIONS

As At 31st March 2020 Rs.	PARTICULARS	As At 31st March 2020 Rs.
1,74,85,331	Provisions	1,63,81,951
1,74,85,331		1,63,81,951

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**NOTE NO. 7
PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT**

Description of Assets	Gross				Depreciation/Amortisation				Net Block	
	Opening Cost 01.04.2020	Addition during the period	Less : Sale/ Adjustment during the period	Total as on 31.03.2021	Upto 01.04.2020	For the year	Add/(Less) : Depreciation Adjustment during the year	Upto 31.03.2021	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.	Rs.
A. Tangible Assets :										
FREEHOLD LAND	16,07,93,820			16,07,93,820	-	-		-	16,07,93,820	16,07,93,820
LEASEHOLD LAND	6,47,63,988			6,47,63,988	88,53,899	8,32,057	-	96,85,956	5,50,78,032	5,59,10,089
FREEHOLD BUILDING	70,35,78,852	67,05,395		71,02,84,247	35,18,02,481	3,53,58,506	43,347	38,72,04,334	32,30,79,913	35,17,76,371
FURNITURE & FITTINGS	8,54,95,561	5,60,918	(45,296)	8,60,11,183	4,34,30,386	41,97,521	(14,53,082)	4,61,74,825	3,98,36,358	4,20,65,175
LIBRARY BOOKS	1,21,57,523	2,643	1,56,352	1,20,03,814	1,15,52,836	3,30,656	(4,88,460)	1,13,95,032	6,08,782	6,04,687
OFFICE EQUIPMENTS	9,48,60,489	9,17,377		9,57,77,866	5,77,95,047	56,76,678	(8,97,428)	6,25,74,297	3,32,03,569	3,70,65,442
GENERATORS	1,60,77,155		(11,010)	1,60,66,145	96,73,429	10,51,406	(1,91,868)	1,05,32,967	55,33,178	64,03,726
LIFT	1,40,63,133	1,00,000		1,41,63,133	84,23,157	8,60,997	-	92,84,154	48,78,979	56,39,976
MOTOR CAR	7,40,503		(2,39,882)	5,00,621	6,12,762	8,336	(1,67,717)	4,53,381	47,240	1,27,741
COMPUTER	5,71,39,960	52,01,047	(1,34,201)	6,22,06,806	5,39,14,233	31,16,407	(16,40,865)	5,53,89,775	68,17,031	32,25,727
CYCLE	8,368	-		8,368	8,368	-	-	8,368	-	-
TOTAL A	1,20,96,79,352	1,34,87,380	(2,74,037)	1,22,25,79,991	54,60,66,598	5,14,32,564	(47,96,073)	59,27,03,089	62,98,76,902	66,36,12,754
B. Intangible Assets :										
SOFTWARE	4,40,87,339	60,324	(22,14,589)	4,19,33,074	4,07,47,144	7,06,834	(6,77,427)	4,07,76,551	11,56,523	33,40,195
TOTAL B	4,40,87,339	60,324	(22,14,589)	4,19,33,074	4,07,47,144	7,06,834	(6,77,427)	4,07,76,551	11,56,523	33,40,195
Grand Total	1,25,37,66,691	1,35,47,704	(24,88,626)	1,26,45,13,065	58,68,13,742	5,21,39,398	(54,73,500)	63,34,79,640	63,10,33,425	66,69,52,949
Previous Year	1,19,59,90,540	5,77,76,151	-	1,25,37,66,691	52,97,02,291	5,60,23,237	10,88,214	58,68,13,742	66,69,52,949	66,62,88,249
Capital-work in Progress	6,49,48,643		(5,48,237)	6,44,00,406					6,44,00,406	6,49,48,643

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)****NOTE NO. 8 :
INVESTMENTS (AT COST)
UNQUOTED**

As At 31st march 2021 Rs.	PARTICULARS	As At 31st March 2021 Rs.
	SHARES OF CO-OPERATIVE TRUST :	
500	50 (Previous year 50) Shares of Rs.10/- each in Rohit Chambers Premises Co-operative Society Limited, Mumbai (earlier described as Jai Brindaban Premises Trust Fund, Bombay)	500
11,00,00,000	Investment in Insolvency Professional Agency of ICAI 1,10,00,000 (Previous year 1,10,00,000 Nos.) of paid up shares of Rs.10 each)	11,00,00,000
11,00,000	1,10,000 (Previous year 1,10,000) Investment in ICMA- Registered Valuers Organisation	11,00,000
50,250	- Others	50,647
11,11,50,750		11,11,51,147

**NOTE NO. 9 :
INVENTORIES**

As At 31st march 2020 Rs.	PARTICULARS	As At 31st March 2021	
		Rs.	Rs.
39,13,431	- Publication Stock (at Cost)		26,48,183
5,765	- Paper Stock (at Cost)		5,765
1,30,70,992	- Study Material incl. Prospectus Stock (at Cost)		50,79,538
16,03,797	- Stock of Other Material (at Cost)		14,81,814
1,85,93,985			92,15,300

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)****NOTE NO. 10 :
TRADE AND OTHER RECEIVABLES
(UNSECURED, CONSIDERED GOOD)**

As At 31st march 2020 Rs.	PARTICULARS	As At 31st March 2021	
		Rs.	Rs.
4,53,47,285	Trade Receivable		3,04,11,085
9,12,01,013	Other Receivables		9,71,89,270
13,65,48,298			12,76,00,355

NOTE NO. 11 :
CASH AND CASH EQUIVALENTS

As At	PARTICULARS	As At	
31st march 2020		31st March 2021	
Rs.		Rs.	Rs.
	Cash and Cash Equivalents :		
11,35,445	Cash in hand		12,13,355
	<u>Balances with Scheduled Banks :</u>		
24,77,15,305	On Current Account		18,46,14,031
6,36,87,419	On Savings Account		8,29,96,593
2,35,68,36,746	Fixed Deposits with Banks		2,69,55,15,950
2,66,93,74,915			2,96,43,39,929

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)

NOTE NO.12 :
LOANS AND ADVANCES
(UNSECURED, CONSIDERED GOOD)

As At	PARTICULARS	As At
31st march 2020		31st March 2021
Rs.		Rs.
1,60,60,936	Other Advances	1,90,97,163
5,35,825	Festival Advance to Employees	6,15,295
2,82,36,196	TDS Receivable	4,05,25,592
58,80,816	Prepaid Expenses	2,02,25,669
56,28,244	Deposit	61,12,482
5,63,42,017		8,65,76,201

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)

NOTE NO.13 :
MEMBERSHIP AND OTHER FEES :

For the year ended	PARTICULARS	For the year ended
31st March 2020		31st March 2021
Rs.		Rs.
3,90,83,132	Annual Membership Fees	3,24,85,201
84,85,505	Members Certificate of Practice Fees	87,12,905
3,83,664	Members Complaint / Restoration Fees/Nomination Fees	74,070
1,80,552	Membership & Certification Fees - IMA(USA)	1,91,103
35,600	Certificate of Good Standing	28,965
4,81,68,453		4,14,92,244

NOTE NO.14 :
TUITION AND OTHER FEES :

For the year ended 31st March 2020	PARTICULARS	For the year ended 31st March 2021
Rs.		Rs.
3,73,00,545	Student Registration Fees	3,93,32,295
63,24,000	Practical Training Registration Fees	2,40,000
70,76,000	Practical Training/Subject Exemption Fees	42,25,000
69,40,05,533	Tuition Fees	71,60,01,424
3,23,78,200	CAT Course Income	3,47,02,200
39,37,600	Revalidation of Coaching Completion Certificates Fees	18,65,000
14,17,000	Sale of Prospectus	10,74,918
6,64,473	Sale of Study Notes	40,47,460
55,000	Sale of Postal Coaching, Revalidation and Denovo Forms	500
78,31,58,351		80,14,88,797

NOTE NO.15 :
EXAMINATION AND OTHER FEES :

For the year ended 31st March 2020	PARTICULARS	For the year ended 31st March 2021
Rs.		Rs.
19,54,59,802	Examination Fees	15,70,93,010
41,60,300	Verification of Answers Paper Fees	-
19,96,20,102		15,70,93,010

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)

NOTE NO.16 : ESTABLISHMENT EXPENSES

For the year ended 31st March 2020	PARTICULARS	For the year ended 31st March 2021
Rs.		Rs.
23,02,81,199	Salaries and Allowances	25,20,18,346
2,16,45,439	Employer's Cont. to Employees' Gratuity Fund	32,88,945
2,02,16,709	Employer's Cont. to Employees' Provident Fund	2,38,58,818
1,976	Employer's Cont. to Employees' Benevolent Fund	1,600
48,46,734	Employer's Cont. to Employees' Leave Encashment	22,14,569
37,88,134	Employees' Leave Encashment - Existing	33,09,753
81,25,398	Medical Expenses	74,44,220

8,80,164	Leave Travel Allowance to Employees	5,19,767
11,54,309	RPFC Administration and E.D.L.I. Inspection Charges	13,71,347
8,13,614	Training and Development (H.R.D.)	10,56,559
29,17,53,676		29,50,83,924

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)

NOTE NO.17 : OFFICE EXPENSES

For the year ended 31st March 2020	PARTICULARS	For the year ended 31st March 2021
Rs.		Rs.
58,70,873	Printing & Stationery	52,08,198
1,02,53,169	Postage, Telegrams, Telephones and Fax	66,13,269
13,41,095	Internal Audit Fees	13,70,599
1,12,31,186	Electricity Charges	62,11,070
2,17,191	Generator Expenses	1,08,920
26,89,600	Rates and Taxes	15,89,984
4,99,704	Insurance	4,61,739
99,56,647	Repair and Maintenance	92,95,187
14,23,357	Car Expenses	9,40,310
12,820	Interest on Caution Money Deposit	7,820
72,96,792	Legal Charges	1,20,23,159
4,81,651	Bank Charges	3,25,730
39,99,799	Computer Maintenance Expenses	95,13,470
24,52,883	Public Relation Expenses	16,52,660
27,47,453	Watch and Ward Expenses	31,30,829
7,26,844	Books and Periodicals	4,03,552
3,12,799	Delegate Fee	1,287
3,59,020	Gazette Notification	4,56,500
22,84,918	Staff Welfare	12,72,468
81,43,953	Rent	83,86,325
6,03,64,965	Administrative Charges	5,75,88,032
56,86,891	Sundry Expenses	57,91,687
13,83,53,610		13,23,52,795

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)

NOTE NO.18 :
EXAMINATION EXPENSES

For the year ended 31st March 2020	PARTICULARS	For the year ended 31st March 2021
Rs.		Rs.
3,63,99,442	Examination Expenses	1,49,84,419
4,68,97,852	Examiners' Remuneration	2,59,03,246
3,12,97,234	Examination Center Expenses	4,72,02,834
9,93,016	Examination Expenses for oral coaching Students	13,19,302
38,87,947	Prize & Prize Distribution Expenses	2,15,445
11,94,75,491		8,96,25,246

NOTE NO.19 :
CPD PROGRAMME EXPENSES AND TECHNICAL SKILL

For the year ended 31st March 2020	PARTICULARS	For the year ended 31st March 2021
Rs.		Rs.
91,43,755	CPD Expenses	2,90,574
45,500	Project Expenses	1,86,517
9,43,520	National Award including Best Chapter Award	1,00,000
1,05,37,449	Regional Cost / National Convention Expenses	5,60,485
1,49,69,489	CPD Expenses - RC's/Chapters	26,99,977
21,31,120	Technical Skill Development	6,62,333
3,77,70,833		44,99,886

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)

NOTE NO. 19A :
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS

For the year ended 31st March 2020	PARTICULARS	For the year ended 31st March 2021
Rs.		Rs.
	Prior Period Income	
22,18,757	HQ	-
-	EIRC	1,17,281
200	Chapters of WIRC	2,33,760
(7,57,578)	Chapters of SIRC	2,18,900
1,81,065	Chapters of NIRC	3,70,150
16,42,444	Total (A)	9,40,091
	Prior Period Expenses	
56,07,415	HQ	1,23,13,836
-	WIRC	81,521
11,800	EIRC	97,622
3,94,171	NIRC	1,63,014
2,63,607	Chapters of WIRC	68,237
8,24,943	Chapters of SIRC	1,63,100
18,800	Chapters of NIRC	(38,000)
71,20,736	Total (B)	1,28,49,330
54,78,292	PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS (NET) (A-B)	1,19,09,239

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)

NOTE - 20**SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS****A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES Basis for preparation of Financial Statements**

The financial statements are prepared in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles, the applicable Accounting Standards and the relevant provisions of the Cost and Works Accountants Act, 1959, as amended. The financial statements are prepared as going concern, under the historical cost convention and on accrual basis unless otherwise stated.

Basis of Consolidation

The financial statements of Head Quarter (Kolkata), New Delhi Office, its Regional Councils and Chapters are consolidated line by line by adding together the like items of assets and liabilities, income and expenses after eliminating all material intra group balances, intra group transactions and resultant unrealized surplus/(deficit). Necessary adjustments are made wherever required.

Use of Estimates

The preparation of the financial statements requires the Management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities and the reported income and expenses of the year. The Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results could differ from the estimates and the differences between the actual results and the estimates are recognized in the periods in which the results are known/ materialized.

Revenue Recognition**Entrance Fee**

Entrance Fee received from members is capitalized.

Registration Fee

Registration Fee received from students is recognized as revenue income as and when the student is enrolled.

Revenue Recognition

The Institute recognizes significant items of income on the following basis: -

a) Members' Subscription

Membership Subscription is recognized in the year to which it pertains.

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.) NOTE – 20 (CONTD.)****b) Tuition and other Fees**

Revenue in respect of Postal and Oral Tuition Fees are recognized as and when the student is enrolled.

c) Sale of Publication

Revenue in respect of sale of publications is recognized when such publications are transferred to a user for a price.

d) Examination Fees

Examination Fees is recognized for the concerned term(s) to which it pertains.

e) Others

Revenue from Programme Fee is recognized as and when such activity is undertaken.

f) Interest

Interest income in respect of fixed deposits with Banks is recognized on accrual basis taking into account the amount accrued and at applicable rate.

g) Income from Investments is recognized as and when the right to receive the same is established.

Expenditure

The expenditure is recognized on accrual basis including expenses related to postal and oral coaching except in the following cases:

- i. The Annual Grants to Chapters are recognized as and when disbursed.
- ii. Election expenses are recognized in the financial year in which it is incurred.

Property, Plant and Equipment

Property, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and net of impairment, if any. Cost comprises the purchase price and any other cost, attributable to bringing the asset to its working condition for its intended use.

Intangible Assets

Intangible Assets being computer software are carried at cost less accumulated amortization and net of impairment, if any.

Capital Work in Progress

Expenditure incurred on construction of assets which is not ready for their intended use is carried at cost less impairment, if any, under Capital Work in Progress.

Depreciation/Amortization

- (a) Depreciation on Property, plant and equipment and amortization of Intangible Assets is provided/made on Written Down Value Method at the rates prescribed as per Income Tax Act.1961.
- (b) Book Value of Leasehold land including premium paid thereon are amortized on straight line basis over the Lease period. The ground rent if any, are recognized as expense in the year for which such charges are due or payable.
- (c) Library books are depreciated at 40% in the year of purchase excepting in case of NIRC, the same has been depreciated @ 100%

Investments

Long term investments are stated at cost. However, when there is a permanent decline in the value of long term investments, carrying amount is reduced to recognize the decline.

Inventories

Publication stock, Study Materials and Paper Stock including Prospectus stock etc. are valued at lower of Cost or Net Realizable Value. Cost of Publications and that of Study Materials is determined on Weighted Average basis and cost of paper is determined on First-In-First-Out (FIFO) basis.

Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

i) A provision is recognized: -

- (a) when there is present obligation as a result of past event;
- (b) it is probable that an outflow of resources embodying economic benefit will be required to settle the obligation; and
- (c) a reliable estimate can be made of the amount of obligation.

ii) No provision is recognized for:

- (a) any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Institute;
- (b) any present obligation that arises from past events but is not recognized because it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation or a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are disclosed as Contingent Liabilities These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for except in extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

Contingent assets are not recognized in the financial statements.

Foreign Currency Transactions

Transactions in foreign currency are denominated at the exchange rate prevailing on the transaction date. Monetary items are reported by using the closing rate prevailing at the Balance Sheet date. Differences in the exchange rate arising on the settlement of monetary

items initially recorded/reported are recognized as income /expense, as the case may be, in the Statement of Income and Expenditure, in the period in which it arises.

Employee Benefits

i. Short term benefit:

The short term employee benefit is recognized as expense when claimed during the period. Unclaimed amount is provided for.

ii. Post employment benefit

Post-Employment benefit such as Provident Fund, Gratuity, Leave Encashment etc. have been provided for as applicable to Head Quarter, Regional Councils and Chapters.

Impairment of Assets

The carrying value of assets at each Balance Sheet date is reviewed for impairment. Impairment is recognized, if the carrying amount of these assets exceeds their recoverable amount.

Taxes on Income

The Institute has granted exemption from Income Tax under section 12A read with section 11 of the Income Tax Act, 1961, as such no provision for Income tax has been made.

Prior Period income/expenditure

Prior period items which arise in the current period as a result of errors or omissions in the preparation of financial statements in one or more prior periods are separately disclosed in the Statement of Income and Expenditure.

B. NOTES TO ACCOUNTS

1. The consolidated financial statements of the Institute are prepared considering Head Quarter Kolkata, New Delhi Office, Four Regional Councils and Ninety one Chapters out of which five accounts are unaudited viz. Trivandrum, Shimla, Nayanangal, Karnal Panipat and Bharuch- Ankleshwar Chapter.

Financial statements of Nineteen chapters namely, Indore Dewas, Jabalpur, Vindhyanagar, Singrauli, Bhadravati-Simoga, Neyvelli, Ghaziabad, Jammu, Jodhpur, Agartala, Jajpur Keonjhar, Jamshedpur, Naihati, Chandrapura, Sambalpur, Baleswar, Sonipat, Lucknow and Jhansi are not included in consolidated financial statements during current year, having not been received. However, previous year's figures of the consolidated financial statements include the previous year's figures of these chapters (Refer – Annexure I).

2. **A. Contingent Liability (to the extent not provided for)**

- a) As per policy, medical expenses (General, Pathology expenses) are reimbursed to the employees on submission of bills, subject to limits specified in the policy. As per the terms of the policy the unutilized balance can be accumulated for a period of 4 years.

As on 31st March 2021, the unutilized balance lying to the credit of the employees amounting to Rs. 45,61,466/- (Previous Year Rs. 44,99,498/-).

- b) There is a legal suit filed by ex-contractual employees against EIRC sometime in the year 2014, which is still pending. Status has not been changed during the year. Necessary effect, if any, will be provided for in the accounts after the final outcome of the case.

- c) The Service Tax demand of Rs. 5,01,68,756/- (Previous Year Rs.5,01,68,756/-) along with applicable interest penalty of Rs. 5,01,68,756/- (Previous Year Rs.5,01,68,756/-) as per Finance Act, 1994 RW CGST Act, 2017 against which a sum of Rs.37,62,657/- (Previous Year Rs.37,62,657/-) being 7.5% of the demand has been paid and shown under the head "Loans and Advances".

- d) In respect of Cochin Chapter:

- i) There was a Sub Court Order demanding a sum of Rs. 19,38,785/- (Previous Year Rs.19,38,785/-) towards damage of building of neighborhood due to construction work carried out

by CFE. Chapter has filed an appeal in the District Court of Ernakulum and obtained stay petition on furnishing Bank Guarantee for a sum of Rs. 15,00,000/-, pending final decision.

- ii) In respect of works contracts amounting to Rs. 75,80,762/-,(Previous Year Rs.75,80,762/-) the Form 1EE (Exemption Form) has not been obtained from contractors by the Chapter. The works contract tax liability on the above due to non-collection of such Forms from works contractors will be Rs. 6,06,461/- plus interest, which has not been provided for in the accounts.

B. Capital Commitment (to the extent not provided for)

Estimated amount of contract (net of advances) remaining to be executed on capital account and not provided for amounting to Rs 12,11,250/- (Previous year – Nil)

3. Exemption in respect of Income Tax has been granted under section 12A read with section 11 of the Income Tax Act, 1961 which is subject to renewal as per the new provisions of the Finance Act, as such no provision for Income Tax has been made. No provision for Deferred Tax Asset and Liability is considered necessary.
4. All Prize Funds maintained by the Institute have been incorporated in the accounts together with relevant investments in Fixed Deposit thereof. The funds have been sponsored by the different donors.
5. Fixed Deposits of Rs.269,55,15,950/- (Previous Year Rs.235,68,36,746/-) includes Rs.52,79,142/- (Previous Year Rs.49,16,284/-) for Misc. prize and other fund respectively.
6. Other Advances include Rs. 1,36,097/- (Previous Year Rs.1,36,097/-) due from former Council Member owing to disallowances by the MCA, Govt. of India and presently the matter is subjudice.
7. Statutory Audit Fees includes: -
Auditors' Remuneration
Statutory Audit Fees (inclusive of GST) Rs. 5,06,869/- (Previous year Rs.4,95,217 /-)
8. (i) **Head Quarters**
 - a) Provident Fund contributions are made to the Institute of Cost Accountants of India Employees Provident Fund Trust.
 - b) The liability in respect of Gratuity, as per Payment of Gratuity Act, 1972 (as amended) is Recognized on the basis of contribution made to the LIC against the Group Gratuity Policy.
 - c) The liability in respect of leave encashment is recognized on the basis of contribution made to an Approved Leave Encashment Fund maintained with the LIC.

(ii). WIRC

1. Claims receivable from FDAPL of Rs.67,30,000/- (Previous year Rs 67,30,000/-) is disputed by the party. Similarly, Rs. 67,30,000/- Claims Suspense – FDAPL includes an amount of Rs. 60,02,000/- balance invoices payable to FDAPL. WIRC has received reminders from the party for the payment of dues and request for appointment of arbitrator.
2. The amount of Provisions for recoverable of Rs. 4,20,707/- (Previous year Rs 4,20,000/-) as appearing in Schedule C – Current Liabilities will be written back on being approved by the AGM since not payable.
3. The council has adopted a Group Gratuity Scheme with LIC of India; however, in absence of actuarial valuation of gratuity liability by LIC of India as on 31/03/2021, the actual payment of the premium and the additional contribution on account of enhanced liability due to amendment of the Payment of Gratuity Act, 1972 have been accounted as gratuity provision.
4. Letters have been issued by WIRC for confirmation of accounts balances in respect of receivables, loans & advances and Trade payables to the respective agencies and balance are subject to confirmation.

(iii) EIRC

- a) Out of total sundry debtors of Rs. 36,40,096/- as on 31.03.2021 a sum of Rs.12,29,729/- are more than nine years old.

- b) EIRC has received monthly rent from SBI as per lease agreement @ Rs 1,60, 000/- p.m.EIRC had also raised GST bill on SBI, however no GST has been collected from SBI. As per lease agreement rent is exclusive of applicable GST.
- c) Lease Agreement with SBI currently for 5 years from 1/4/2019 @ Rs 160,000 per month (including KMC TAX and surcharge that is to be borne by the landlord) but excluding GST as applicable. As per that Agreement the lessee i.e SBI will pay for 6 months' rent and service charges as advance as interest free security deposit on or before taking possession. This deposit may be refunded on termination/cessation of lease. However, EIRC has not yet collected that Security Deposit from the lessee. Now, EIRC has made provision for the amount in the account of the FY 2019-20.
- d) In TDS Receivable account balance of Rs. 34,19,372/- is appearing as on 31.03.2021.

This would be thoroughly reconciled with reference to the physical

TDS certificates as well as actual deposits to the department in the name of the Institute from Income Tax Portal.

- e) In terms of the orders dated 27th May 2015 passed by the Dr. A.S. Durgaprasad, Presiding officer of the Disciplinary Committee, in complaint no. Com/21-

CWA (9) 2010, the following orders were imposed against a member in terms of Sec

21B (3), the CWA Act, 1959 read with rule 19(1) of the Cost and Work Accountants (Procedure of Investigations of Professional & Other misconduct and conduct of Cases), Rules 2007.

a. "Reprimanding the Member

b. Repayment of the entire amount of Rs 61,461.00/- only to EIRC of Institute plus equivalent amount as fine to be paid within 30days of service of the order and

c. Removal of the name from the Register of member for period of one year from date of the service of the order"

Accordingly, Rs 1,22,922.00 was recoverable from the concerned person.

An appeal was preferred before the appellant authority of the Institute of Cost

Accountants of India and the said appellant authority by virtue of Order date

09.04.2018 in exercise of the powers conferred upon this said authority under clause (C) of sub. Section (2) of Section 22E of the Cost and Work Accountants Act has stayed the operation of the Impugned Order passed by the Disciplinary Committee of the Institute till the completion of the directions for which the matter is being remitted to the Disciplinary Committee of the Institute of Cost Accountants of India for undertaking the aforesaid proceedings for the purpose as mentioned under Para (12) of the order 09.04.2018 and to pass a fresh Order.

(iv) **NIRC:**

- i. As per online dues status verified, the NIRC has the outstanding TDS demand of Rs.1,57,175/-. Since the Northern India Regional Council is following up the matter with Income Tax authorities, no provision has been made in the books in respect of penal interest that may become payable as such demands may not stand valid as same needs rectifications and follow up with the Income Tax department, details of the outstanding demand of TDS for necessary correction/rectification areas below:

SL NO	YEAR	DEMAND OUTSTANDING
1	2020-21	6,050/-
1	2019-20	18,450/-
2	2018-19	23825/-
3	2012-13	35663/-
4	2009-10	12607/-
5	2008-09	43160/-
6	2007-08	17420/-
	Total	1,57,175/-

- ii. As per books of NIRC, an amount of Rs. 11,25,800/- is receivable from Headquarters as on 31.3.2021. However, as per ledger sent by Headquarter it shows that (Rs. 3,71,669/-) is payable by Headquarter to NIRC. The reconciliation of balances is under process.
9. In respect of Bhubaneswar Chapter, under EIRC, as reported by the Chapter Auditor: -
- i. During the year, donation to the family of deceased member amounting to Rs.2,00,000/- has been paid and debited to Administrative Expenses, which is not the appropriate head of accounts.
- ii. During the year, FD amounting to Rs.60,00,000/- has been made with a non-nationalized bank, namely, DCB bank. As per Institute's guidelines same is required to be parked with Nationalized Bank.
10. Balance of GST Input credit as on 31.3.2021 amounting to Rs. 1,18,30,676/- has been charged to the Statement of Income and Expenditure
11. There is an un reconciled balance of Rs. 15,55,30,383/- (Net Credit) shown under Current Accounts with Regional Councils and Chapters.
12. The Institute has an old amount outstanding in Non-Specific Deposit of Rs. 3,46,943/-. The nature of the amount cannot be ascertained
13. Necessary adjustment entries pertaining to Regional Councils and Chapters have been made at the time of consolidation of financial statements.
14. Based on the available information with the Institute as at 31st March, 2021, there is no amount including Interest thereon payable to Micro, Small and Medium Enterprises as defined under "The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006", as amended.
15. Previous year's figures have been regrouped and rearranged wherever necessary to conform to the current year's classification/disclosure.

Signatures to Notes 1 to 20

CMA Arnab Chakraborty
Director - Finance

CMA Kaushik Banerjee
Secretary

CMA P Raju Iyer
Vice President

CMA Biswarup Basu
President

Place: Kolkata

Date: 12th Sept 2021

ANNEXURE-I (Refer Note 1 of Notes to Accounts)

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA STATUS OF RECEIPT OF ANNUAL ACCOUNTS FOR THE F.Y. 2020-21			
WESTERN REGION			SOUTHERN REGION
SL. NO.	NAMES	SL. NO..	NAMES
1	WESTERN INDIA REGIONAL COUNCIL	1	SOUTHERN INDIA REGIONAL COUNCIL
2	Ahmedabad Chapter of ICAI	2	Bangalore Chapter of ICAI
3	Aurangabad Chapter of ICAI	3	Bhadravati -Shimoga Chapter of ICAI #
4	Baroda Chapter of ICAI	4	Cochin Chapter of ICAI

5	Bhilai Chapter of ICAI	5	Coimbatore Chapter of ICAI
6	Bhopal Chapter of ICAI	6	Erode Chapter of ICAI
7	Bilaspur Chapter of ICAI	7	Godavari Chapter of ICAI
8	Goa Chapter of ICAI	8	Hyderabad Chapter of ICAI
9	Indore-Dewas Chapter of ICAI #	9	Kottayam Chapter of ICAI
10	Jabalpur Chapter of ICAI #	10	Madurai Chapter of ICAI
11	Kalyan-Ambarnath Chapter of ICAI	11	Mangalore Chapter of ICAI
12	Kolhapur-Sangli Chapter of ICAI	12	Mettur-Salem Chapter of ICAI
13	Kutch-Gandhidham Chapter of ICAI	13	Mysore Chapter of ICAI
14	Nagpur Chapter of ICAI	14	Nellai-Pearl City Chapter of ICAI
15	Nasik-Ojhar Chapter of ICAI	15	Nellore Chapter of ICAI
16	Navi Mumbai Chapter of ICAI	16	Neyvelli Chapter of ICAI #
17	Pimpri-Chinchwad-Akurdi Chapter of ICAI	17	Palakkad Chapter of ICAI
18	Pune Chapter of ICAI	18	Pondicherry Chapter of ICAI
19	Raipur Chapter of ICAI	19	Ranipet-Vellore Chapter of ICAI
20	Surat-South Gujarat Chapter of ICAI	20	Thrissur Chapter of ICAI
21	Vapi-Daman-Silvassa Chapter of ICAI	21	Tiruchirapalli Chapter of ICAI
22	Vindhyannagar Chapter of ICAI #	22	Trivandrum Chapter of ICAI
23	Solapur Chapter of ICAI	23	Ukkunagaram Chapter of ICAI
24	Bharuch Ankleshwar Chapter of ICAI	24	Vijayawada Chapter of ICAI
25	Singrauli Chapter #	25	Visakhapatnam Chapter of ICAI
			Hosur Chapter
		26	
		27	Kozhikode Malappuram

<u>EASTERN REGION</u>			<u>NORTHERN REGION</u>	
SL.NO.	NAMES		SL.NO.	NAMES
1	EASTERN INDIA REGIONAL COUNCIL		1	NORTHERN INDIA REGIONAL COUNCIL
2	Agartala Chapter of ICAI #		2	Agra-Mathure Chapter of ICAI
3	Asansol Chapter of ICAI		3	Ajmer-Bhilwara Chapter of ICAI
4	Bokaro Steel City Chapter of ICAI		4	Allahabad Chapter of ICAI
5	Bhubaneswar Chapter of ICAI		5	Chandigarh-Panchkula Chapter of ICAI
6	Cuttack Jagatsinghpur Kendrapara Chapter of ICAI		6	Dehradun Chapter of ICAI
7	Dhanbad-Sindri Chapter of ICAI		7	Faridabad Chapter of ICAI
8	Durgapur Chapter of ICAI		8	Ghaziabad Chapter of ICAI #
9	Guwahati Chapter of ICAI		9	Gorakhpur Chapter of ICAI
10	Hazaribag Chapter of ICAI		10	Gurgaon Chapter of ICAI
11	Howrah Chapter of ICAI		11	Hardwar-Rishikesh Chapter of ICAI
12	Jajpur-Keonjhar Chapter of ICAI #		12	Jaipur Chapter of ICAI
13	Jamshedpur Chapter of ICAI #		13	Jalandhar Chapter of ICAI

14	Kharagpur Chapter of ICAI	14	Jammu Chapter of ICAI #
15	Naihati-Ichapur Chapter of ICAI #	15	Jhansi Chapter of ICAI #
16	Patna Chapter of ICAI	16	Jodhpur Chapter of ICAI #
17	Rajpur Chapter of ICAI	17	Kanpur Chapter of ICAI
18	Ranchi Chapter of ICAI	18	Kota Chapter of ICAI
19	Rourkela Chapter of ICAI	19	Lucknow Chapter of ICAI #
20	Sambalpur Chapter of ICAI #	20	Ludhina Chapter of ICAI
21	Serampore Chapter of ICAI	21	Naya Nangal Chapter of ICAI
22	Siliguri-Gangtok Chapter of ICAI	22	Noida Chapter of ICAI
23	South Orissa Chapter of ICAI	23	Patiala Chapter of ICAI
24	Talcher-Angul Chapter of ICAI	24	Udaipur Chapter of ICAI
25	Dhuliajan Chapter of ICAI	25	Bikaner Jhunjhunu Chapter of ICAI
26	Chandrapura Chapter #	26	Karnel Panipet Chapter of ICAI
27	Bankura Chapter of ICAI	27	Sonipet Chapter of ICAI #
28	Baleswar Chapter of ICAI #	28	Srinagar Chapter of ICAI
29	Patna Sheb Chapter of ICAI	29	Meerut Chapter of ICAI
30	Muzaffarpur Chapter of ICAI	30	Saharanpur Chapter of ICAI
		31	Bewar Chapter of ICAI
		32	Shimla

Not included during current year, as the financial statements have not been received